



भारत का विधि आयोग

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

(1985 का अधिनियम सं० 61)

से संबंधित एक सौ पचपनवीं रिपोर्ट

जुलाई, 1997

व्याधमूर्ति

के० जयचन्द्र रेड्डी

अध्यक्ष

विधि आयोग

भारत सरकार

शास्त्रीय भवन

नई दिल्ली-110 001

फोन नॉ 3384475 (का०)

3019465 (निवास)

अ० भा० पत्र सं० ६(३)(३५)/९६-एल सी (एल एल)

९ जुलाई, १९९७

माननीय श्री महोदय,

मुझे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ से संबंधित १५५वीं रिपोर्ट अनुमति करते हुए अत्यंत हृष्ट हूँ।

ओषधि दूरपथोंग सदाज का एक प्रमुख अभियांप बन गया है। यह ऐसी विभीषिका है जो लोक जीवन के लिए अनिष्टकर है और वेदन किसी परिवार को ही नहीं अपितु, सभाज को भी विनाश की ओर ले जाती है। इस व्याधि पर नियन्त्रण करना आवश्यक है। ऐसा महसूस किया गया है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५, वर्ष १९८८ में उसमें किये गए संशोधन के बावजूद वांछित परिणाम नहीं दे सका है। अतः, विधि आयोग ने, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का पुनरीक्षण करना आवश्यक समझा है।

इस विषय पर, लोक अभियमत प्राप्त करने के लिए आयोग ने, अध्यवनाधीन विषय के विभिन्न पहलुओं पर तैयार की गई एक प्रश्नावली परिचालित की थी। आयोग ने, गोवा में एक कार्यशाला और नई दिल्ली में, भारत में दाँड़िक न्याय संबंधी संगठनों भी आयोजित की थीं जिसमें ओषधि के नियन्त्रण से संबंधित विधि के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है।

खामियों को दूर करने तथा उपचारों को और प्रभावी करने की दृष्टि से सिकारिशों की गई है। आमा है कि यदि ये सिकारिशों कार्यान्वय की जाती हैं तो एक धर्येष्ट सीमा तक यह व्याधि नियंत्रित की जा सकेगी।

सादर,

प्रदीप,

इ०/

(के० जयचन्द्र रेड्डी)

माननीय श्री रमाकान्त डी० खलप,

विधि और व्याय राज्य मंत्री,

शास्त्रीय भवन,

नई दिल्ली।

विषय सूची

पृष्ठ सं.

अध्याय 1—भूमिका	1-4
अध्याय 2—ओषधि दुरुपयोग और ओषधि व्यापार की विभीषिका	5-6
अध्याय 3—ओषधि संबंधी संदर्भानिक लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशन	7-19
अध्याय 4—स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम : एक पुनरीक्षण।	20-25
अध्याय 5—आजापक और निवेशात्मक उपचार : सशक्त अधिकारियों के कर्तव्य	26-31
अध्याय 6—निष्कर्ष और सिफारिशें	32-35

उपांक्ष

उपांक्ष 1—विधि आयोग द्वारा जारी की गई स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित प्रश्नावली	36-38
उपांक्ष 2—विधि आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली पर प्राप्त टीकानिष्पत्ति	39-47
उपांक्ष 3—स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1989 के अधिनियम सं० 2 द्वारा यथासंशोधित) के अधीन अपराधों के लिए उपर्युक्त दंड	48-50
उपांक्ष 4—31-8-1996 को राष्ट्रीय ओषधि प्रवर्तन से संबंधित आंकड़े (अनंतिम)	51-55
उपांक्ष 5—गोवा में हुई कार्यशाला की कार्यवाहियों का सार	56-57
उपांक्ष 6—नई दिल्ली में हुई कार्यशाला की कार्यवाही	58-62

अध्याय १

भूमिका

१. १. दांडिक न्याय प्रशासन का प्रशासन

आदिकाल से समाज कल्याण राज्य के प्रत्रम तक मानव के विकास के साथ-साथ, दांडिक विधि का प्रशासन, अत्यधिक महत्वपूर्ण बनता गया है। जब तक मानव ईश्वर से भयभीत रहता था और उसे वह विश्वास था कि उनकी गतिविधियों को "सर्वशक्तिमान" द्वारा देखा जा रहा है, दांडिक न्याय के प्रशासन की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया था। फिर भी, समय के साथ-साथ और जनसमुदाय अधिक औतिकीबादी बनने पर समाज के एक वर्ग ने, जिसमें पथभ्रष्ट और असंतुष्ट मानव थे, "सर्वशक्तिमान" में विश्वास खो दिया और यह सोचना आरंभ कर दिया कि उनकी गतिविधियों को किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। ये पथभ्रष्ट व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लग गए जिसके कारण दांडिक न्याय के प्रशासन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त, वे कार्यकलाप भी, जिन्हें "आपराधिक गतिविधियाँ" कहा गया है, समय के साथ-साथ बढ़लते गए। आज से ५० वर्ष पहले जिसे हानि तक नहीं माना जाता था वह अब आज के परिवर्तित परिस्थितियों, नए अनुसंधानों, नूतन चित्तन और जीवन की आधुनिक शैली के कारण आधुनिक युग की सबसे बड़ी बुराई बन गए हैं।

१. २. सफेदपोश अपराधों का आविभाव

अपराध साधारणतया दो प्रकार के होते हैं :

(क) व्यक्तिक व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाले पारम्परिक अपराध, जैसे हत्या, बीरी, हमला, आदि;

(ख) जनसमुदाय पर प्रभाव डालने वाले सफेदपोश अपराध अथवा सामाजिक, आर्थिक अपराध, जैसे तस्करी, जमाखोरी, अपमिशण, अवैध व्यापार और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों का विक्रय, आदि सफेदपोश अपराध अभी हाल में ही बढ़े हैं और उन्हें विधिविरुद्ध साधनों द्वारा किए गए सभी अवैध कार्यों के रूप में परिभ्राष्ट किया जा सकता है जिनका प्रयोजन धन या सम्पत्ति या कारबाह या वैयक्तिक अभिलाभ या लाभ अभिप्राप्त करना है। ऐसे अपराध प्रभावशाली, संगठित गैंगों द्वारा किए जाते हैं। सफेदपोश अपराधों के कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं :

(क) ऐसे सफेदपोश अपराधों के प्रति कोई सामाजिक मंजूरी नहीं है।

(ख) ये अपराध सर्वाधिक आधुनिक प्रौद्योगिक से युक्त संगठित गैंगों द्वारा किए जाते हैं;

(ग) ऐसे अपराधों में प्रत्यक्षतः लगे हुए अपराधियों तथा राजनीतिज्ञों, विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच साधारणतः एक गठबंधन होता है;^१

(घ) ऐसे अपराधों के विरुद्ध कोई संगठित लोक अभिमत नहीं है;

(ङ) पारम्परिक अपराध प्रायः एकाकी अपराध होते हैं जबकि सफेदपोश अपराध समाज के अंगभूत हैं।^२

१. ३. ओषधि व्यापार और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी यदार्थों का अवैध प्रयोग

भारतीय ओषधि व्यापार परिदृश्य का मूलतत्व और उसका विकास, भारत के सामरिक और भौगोलिक अवस्थिति से निकटतः सबद्ध है जिसके कारण "सर्वण चन्द्र," जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सम्मिलित हैं, जो विश्व के प्रमुख अवैध ओषधि प्रदायक क्षेत्रों में से एक है, से आरंभ

१. बारोदालिया जे०एन०, कमेटीआन नारकेटिक इन्स्टी

२. एड साइकोट्रैपिक सबसेटेसज एक्ट, 1985 (1992) पृष्ठ 615-616.

२. पूर्वोक्त

होने वाले भारत पाकिस्तान सीमा के पार से हिरोइन और हशीश का व्यापक अन्तःप्रवाह होता है।¹ देश की उत्तरपूर्वी दिशा पर एक "स्वर्ण द्विकोण" है जिसमें दर्मा, लाओस और थाइलैंड सम्मिलित हैं, जो विश्व में अवैध अफीम के विशालतम् स्रोतों में से एक है।² नेपाल भी पत्ती और चरस दोनों रूपों में, कैनेबिस का एक पारम्परिक स्रोत है।³ भारत के कुछ राज्यों में भी कैनेबिस की पैदावार होती है। जहां तक भारत से और भारत के माध्यम से अवैध औषधि व्यापार का संबंध है, प्रदायक के ये तीनों स्रोत औषधि व्यापार में सहायक रहे हैं। स्वापक औषधि और भन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधिनियम के पूर्व, सहायक औषधियों पर कानूनी नियंत्रण, भारत में अनेक केन्द्रीय और राज्य अधिनियमियों द्वारा किया जाता था। इनमें से प्रमुख केन्द्रीय अधिनियम थे, (क) अफीम अधिनियम, 1857 (ख.) अफीम अधिनियम, 1878 और (ग) खतरनाक औषधि अधिनियम, 1820।

स्वापक ओषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की उद्देशिका में निम्नलिखित उपबंध है:-

“स्वापक औषधियों से संबंधित विधि का समैक्यन और संशोधन करने के लिए, व्यापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त था। उसमें प्रयुक्त सम्पत्ति के सम्पहरण का उपबंध और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त था। उसमें प्रयुक्त सम्पत्ति के सम्पहरण का उपबंध और मनःप्रभावी पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यशत के उपबंधों को करने के लिए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यशत के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबंध करने के लिए अधिनियम ।”

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों और कारणों के कथनों में निम्नलिखित हैं:-

“भारत के स्वापक औषधियों पर कानूनी नियंत्रण अनेक केन्द्रीय और राज्य अधिनियमितयों के माध्यम से किया जाता है। प्रमुख केन्द्रीय अधिनियम, अर्थात्, अफीम अधिनियम, 1896, अफीम अधिनियम, 1878 और खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 काफी समय पहले अधिनियमित किए गए थे। समय के साथ-साथ तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवैध औषधि बाजार और औषधि दुरप्रयोग के क्षेत्र में, चिकित्स के कारण विद्यमान विधियों में अनेक छापियाँ प्रकाश मआई हैं, जिनमें कुछ नीचे उपर्याप्त हैं—

(i) वर्तमान अधिनियमों के अदीन सास्त्रियों की स्कीम, तत्कारों के सुसंगठित मैंगों की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हवा से भयोपरापी नहीं हैं। खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 में किसी अपराध के लिए जुमने सहित या रहित अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की अवधि और उस अपराध की पुनरावृत्ति पर जुमने सहित या रहित चार वर्ष के कारावास की अधिकतम अवधि के लिए उपयोग है और वर्तमान विधियों में कोई न्यूनतम दंड विहित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप, यदाकदा औषधि व्यापारी व्याथालयों द्वारा नामांकन का दंड देकर छोड़ दिए भए हैं। देश गत कुछ वर्षों से लगातार सीमा पार से औषधि व्यापार, जो मुख्यतः हमारे कुछ पड़ोसी देशों से आता है और मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के लिए होता है, की बढ़ती दृई समस्या का सामना कर रहा है।

(ii) विद्यमान केन्द्रीय विधियों में अनेक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रवर्तन अधिकरणों, जैसे स्वापक ओषधि, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आदि के अधिकारियों को, उक्त अधिनियमों के अधीन अपराधों की अवृत्ति देने का उपबंध तभी है।

^{1.} एस० वी० जोगा राव,ला एंड पालिसी आन इन्हैटेफिकिंग; ए.फैनोमेलाजिकल स्टडी बिद रपैशल रेफेन्स टु बंगलौर सिटी।
२५ वी श्री गहल आर्फै (1993) घट ५६।

३०

२०८

(iii) पर्वोक्त तीत के द्वारा अधिनियमों के अधिनियम से अब तक विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संघियों और नवाचारों के पाइयमों से स्वापक ओषधि नियन्त्रण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विधि का व्यापक निकाय विकसित हो गया है। भारत सरकार इन संघियों और क्वेशनों को एक पश्चात रही है, जो दूसी अनेक बाधपताएं आरोपित करती हैं जो दर्तमान अधिनियमों के अतर्गत नहीं आती अथवा केवल भागते ही आती हैं।

(iv) यह कुछ वर्षों के दौरान, व्यवसन की कुछ नई जीवनशिला इस परिवृत्ति पर आ रही है जिन्हें मनःप्रभावी पदार्थ के रूप में जाना जाता है और इहोंने राष्ट्रीय सरकारों के समने गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी है। भारत में मनःप्रभावी पदार्थ पर नियंत्रण के अवधारणा को समर्थन करने वाली उस रीति में कोई व्यापक विधि नहीं है जो मनःप्रभावी पदार्थ कन्वेन्शन, 1971 में कथित है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

जिसपर जो कुछ कहा गया है उस पर ध्यान देते हुए, स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ के संबंध में, एक व्यापक विद्यान के अधिनियमत के लिए अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वापक औषधियों से संबंधित विद्यमान विधियों को समेकित और संशोधित करे, औषधि दृष्टियोग पर विद्यमान नियंत्रण को सशक्त बनाए, भास्तियों में और विशेष रूप से दुर्घापार संबंधी अस्तराधीनों के लिए भास्तियों को पर्याप्त रूप में बढ़ाए, मनप्रभावी पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए उपचंद्र बनाए और स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थों से संबंधित उन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के जिनका भारत एक पक्षकार है, कार्यनिवेदन के लिए उपचंद्र बनाए।

१०.४. द्वाषपक औषधि और मनुप्रभावी पदार्थों के अवैध च्यापार और उपयोग का प्रभाव स्वास्थ औषधि और मनुप्रभावी पदार्थों के अवैध च्यापार से जोषधि की आदतें कह गई हैं। भारत के उच्चतम च्यापालन की वक्ता "डूरंड डीडियर बनाम मुख्य सचिव, गोवा संघ राज्यसभा" के मामले में निम्नलिखित अद्वेषों में व्यक्त की गई थी—

“गहरी चिन्ता के साथ हम इस और संकेत कर रहे हैं कि इस देश में अन्दरवल्ड के संगठित क्रियाकलापों तथा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों की चोरी छिपे तस्करी तथा ऐसी ओषधियों तथा पदार्थों के अवैद व्यापार में जन समुदाय के व्यापक भाग में, विशेष रूप से किसी और किशोरियों तथा छाल-छाताजों में ओषधि की आदत बढ़ गई है और हाल के कुछ वर्षों के इस अभियान के ने, गंभीर और धूंधकर रूप ध्वनि कर दिया है। अतः, प्रभावी नियंत्रण और इस विनायक विनीयिका को रोकने तथा समाप्त करने के लिए, जो संपूर्ण समाज पर खतरनाक प्रभाव और भयावह छाप छोड़ रही है, संसद में स्वविधिक से आजापक न्यूनतम कारबाहस और जुर्माना दिनांदिष्ट करते हुए, 1985 का यह अधिनियम पुरस्थापित करके प्रभावी उपचंद्र किए हैं। दुष्टिष्ठांड सहित उच्च व्यायालय द्वारा यथा उपांतरित 10 वर्ष के समय कारबाहस और एक लाद सप्त के जुर्माने के दृढ़ में किसी दृस्तावेद की आवश्यकता नहीं है।”

1.5 किर भी, 1989 में यथा संशोधित स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधिनियमन के बाबजूद औषधि व्यापार तथा ओषधि दुर्घटयोग की विभीषिका बढ़ती जा रही है और इस अधिनियम के अधीन भासलों में सिद्धोष की दर अत्यधिक कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो निर्दोष व्यक्ति न्यायालयों में भेजे जा रहे हैं या कुछ प्रक्रियात्मक रूप या खामिया हैं जो अभियुक्त को न्यायालयों से छुटकारा पाने का काफ्यदा पहुँचाती है। देश के विभिन्न भागों में होने वाले ओषधि दुर्घटयोग की बढ़ती हुई घटनाओं पर गहरी चिन्ता और अवैध व्यापार का सामना करने के लिए विधि और प्रक्रिया में कमियों को दूर करने तथा अन्य आतों के साथ-साथ ओषधि अवराधियों के साथ प्रभावी तौर पर निपटने के लिए विविध आयोग ने, स्वप्रेरणा से निम्नलिखित का अध्ययन आरंभ किया है:-

(क) ओषधि दुरुपयोग और ओषधि व्यापार की विभीषिका और भारत में नवपृष्ठकों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करता;

१. श्री वार्षि भारत १९८९ परमं श्री १३६६-१३७५

(ख) भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कन्वेशनों के उपबंधों की संवीक्षा करना;

(ग) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार और उपयोग की समस्या का, गंभीरता और साथ ही साथ स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की आमियों को समझाना;

(घ) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के सुरक्षत उपबंधों और व्यायालयों द्वारा उसके निर्वचन की जांच करना; और

(इ) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संशोधनों का अभिनाशन करना।

1.6 इस विषय पर, लोक मत प्राप्त करने के लिए आयोग ने, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित एक प्रश्नावली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रारों, उच्च न्यायालय के बार संगठनों के अध्यक्षों और जिला न्यायालय बार संगठनों, सभी राज्यों और संघ राज्यकान्त्रों के गृह सचिवों, पुलिस अधिकारियों और राज्य विधि आयोग के अध्यक्षों को, अध्यक्षाधीन विषय के विभिन्न पहलुओं को अधिकृत करते हुए, परिचालित की थी। प्रश्नावली पर प्राप्त टीका-टिप्पणी का सार उपरांत 2 में है। आयोग ने, 18 जनवरी, 1997 को पण्डी, गोवा में गोवा सरकार के सौनित्य से "दोडिक विधि और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ" विषय पर संगोष्ठी और 22, 23 फरवरी, 1997 को विज्ञान, भवन, नई दिल्ली में "भारत में" दोडिक व्याय के संबंध में, राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की थी। संगोष्ठी में न्यायाधीशों, विधिवताओं, अधिवक्ताओं, विधि आचार्यों, माजिस्ट्रेटों, लोक अभियोजकों और पुलिस अधिकारियों ने, विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए थे। आयोग ने, वह रिपोर्ट तैयार करते समय, संगोष्ठियों में व्यक्त अभिमतों पर विचार किया है।

अध्याय 2

ओषधि दुरुपयोग और ओषधि व्यापार की विभोगिका

2. 1 वैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रयोजन के लिए स्वापक ओषधियों का उपयोग

वैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रयोजन के लिए स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का उपयोग अपरिहार्य है। भारतीय, पैदीडीन और द्रौकवीलाइनर जैसे अनेक जीवन रक्षक ओषधियों के विनियोग के लिए ये ओषधियों और पदार्थ आवश्यक हैं। भारत, चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के उपयोग के कारण उसके उत्पादन को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है किन्तु सरकार द्वारा उसके अवैध व्यापार और अवैध उपयोग के निवारणार्थे उत्पादन को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है।

2. 2 ओषधि दुरुपयोग की विभोगिका

ओषधि का अवसरी होना जागृतिक काल के अधिकारों में से एक अभिजाप बन गया है, यह ऐसी विभोगिका है जो जन-स्वास्थ्य के लिए भयावह है और इसका परिणाम मानव व्यक्तित्व का विवरण, मानव अधारपत्र के विभिन्न रूपों के लिए, स्थितियों का सर्वधूर्त है, जिनके परिणाम अपराध और अव्यवस्था का प्रसार है। इनमें से एक खेड़जनक विवरण यह है कि इसका आक्रमण युवकों पर अधिक होता है जो केवल सानन्दिक व्यापारी और संवेदात्मक दिक्षोभ ही नहीं है अपितु वह अपने शिकार को ऐसी दिशा में ले जाता है जहाँ से शायद ही बच्चाकी आजां शेष रह पाती है। यह बुराई मानी जाती है और मृत रूप से कार्य करती है और वह बहुधा दसरों की जानकारी में तभी आती है जब इसका विसर्जन लौट न पाने की स्थिति को पार कर लैता है। इसके परिणाम दूरगमी हैं क्योंकि देश की युवाओं की प्राकाग करने के कारण यह राष्ट्र के भविष्य की प्रकृतता को नष्ट कर देती है। इतिहास में, तस्करी की गई ओषधियों के माध्यम से देश के युवकों को अव्यवस्थित रीति से झछट करके देश की संस्कृति उसके सामाजिक यूल्य और उसकी जल्दाता की जानकारी विवरण करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। स्वापक ओषधियों के अवैध व्यापार से होने वाले यतरे दिव्य स्तर पर पहचान लिए गए हैं और विश्व समूदाय की भैतिजा इतनी उत्तेजित ही मही है कि अब वे अंतरराष्ट्रीय कन्वेशन के विषय बत गए हैं।¹

ओषधि के व्यसन की समस्या को सुलझाने के लिए, दिव्य और सामाजिक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, ओषधि का व्यसनी होने का कारण, सुनिश्चित करना आवश्यक है जिन्हें निम्नवत उल्लिखित किया जा सकता है:-

(क) ओषधि युद्ध :—कुछ अन्य देशों द्वारा हमारी भूमि पर हमारे व्यवस्था, इन और हमारी सामग्री के साथ ओषधि युद्ध किया जा रहा है। ओषधि का व्यसनी बालक लहजतः अपराधी हो सकता है और ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि भारतीय युवकों को पहले ओषधि का व्यसनी बनाया जाता है और किर उन्हें भारतीय राज्यक्षेत्र में पुनः भेजते समय ओषधि और आयुध दे दिए जाते हैं जिससे कि वे और लोगों को ओषधि अव्यवस्था बनाने तथा अतंकवादी गतिविधियों पैदा करने के लिए उनका उपयोग कर सकें। जल्द, इन गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई अपेक्षित है।

(ख) तस्करों के संगठित गैंग :—ओषधि की अव्यवस्था ऐसे तस्करों के गैंगों के कार्य का परिणाम है जो अपनी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए मांग पैदा करने चाहते हैं और यदि मांग अधिक है तो स्वापक ओषधियों के लिए कीमतें भी अधिक होंगी तथा इस प्रकार तस्कर ओषधि अव्यवस्था बनाने तथा अतंकवादी गतिविधियों पैदा करने के लिए भी कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

1. बारोवालिया की कम्बोडी आन व नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सब्सेट्सिज ऐवट, 1985 (1992) भारत के भूतपूर्व भूख्यायांत्रिक और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायाधीश आर. एस. पाठक का ग्रामकाल देखिये।

(ग) निजी अध्या कौटुम्बिक कारण :—ओप्पिं अस्थस्तता की ओर से जावे वाले कुछ निजी अध्या कौटुम्बिक कारण हैं जिन्हें नए अनुभव, जिज्ञासा, खराक परिवेश, कौटुम्बिक देखरेख की कमी, अनुशासन का अभाव, हिप्पी अध्या कुलीन पथ (पिघरकल्ट) कहा जा सकता है जिसमें लोग जीवन की वास्तविकताओं से बचते हैं और कुछ आनंदायक और रोमांचकारी अनुभव पा लेते हैं। इस प्रकार की ओप्पिं अस्थस्तता में सुशारात्मक पहुँच आवश्यक है जिससे अस्थस्त व्यक्ति को जीवन की प्रसुख धृति में लौटाया जा सके।

२, ३ औषधि व्यापार की विभागिका

२.४ ओद्धिं दुरपथोग और पहसः

२५ भृत्यानि

“स्वर्ण विक्रोण” और “स्वर्ण चन्द्र” के द्वारा भारत की भौगोलिक अवधिति के कारण उसमें जीष्ठिय दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार से निपटना आवश्यक है क्योंकि ये दोनों अवैध अफीम और जीष्ठिय दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार से निपटना आवश्यक है क्योंकि ये दोनों अवैध अफीम और उसके उत्पादों के प्रमुख गोत हैं और उनके बाजार परिवर्तनीय देश हैं। अतः, मध्य मार्ग होने के कारण उसके उत्पादों के प्रमुख गोत हैं और उनके बाजार परिवर्तनीय देश हैं। अतः, मध्य मार्ग होने के कारण भारत में इसका खतरा बना रहता है क्योंकि उसका अपना संक्षात और स्वानीय प्रभाव है। विद्युत रूप भारत में इसका खतरा बना रहता है क्योंकि उसका अपना संक्षात और स्वानीय प्रभाव है। अतः, यह आवश्यक है कि स्वापक से, युवकों पर क्योंकि उनके लिए प्रदूषण अवैधाकृत जासान ही जाता है। अतः, यह आवश्यक है कि स्वापक औषधि और मनप्रस्थावी पदार्थ अधिनियम में उच्चतम संशोधन लाकर और इस विभीषिका का मुकाबला करने के लिए उसे और प्रश्नावी बनाकर, कठोर उत्तराध किए जाएं।

... १२. भारतीयालिया जी, घन के
सुरदार अल्लाहबाद मार्ग पटेल नेशनल पालिसी एकेडमी हैदराबाद में (३ जून, १९७४) में आयोजित औषधि दुरुपयोग
संबंधी शास्त्रीय संशोधनी में व्याख्यात (अस्क्रिप्ट) ।

अस्त्राय

आवश्यक संबंधी संवैधानिक लक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय कानूनशास्त्र

३. १ राज्य की नीति के निर्देशक तत्व

भारत के संविधान की भाग 4 में वर्णित राज्य की नीति के निवेशक तत्व, संविधान के अनुच्छेद 37 में व्याप्त अधिकाधित देश के शासन में मूलभूत हैं। अनुच्छेद 37 नीचे उद्धृत है:

“इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी व्यापालय हारा प्रवर्तनीय नहीं होगे किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के आसन में भूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कठिन होता।”

निदेशक तत्वों का पूर्ति और असंक्राम्य रूप में वर्णन किया जा सकता है क्योंकि वे उन नीतियों और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें राज्य को प्राप्त करना चाहिए। जबकि मूल अधिकार, राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित करते हैं कि वह उनका उलंगन न करे, राज्य की नीति के निदेशक तत्व राज्य पर यह तत्त्वबंधी तत्व अधिरोपित करते हैं कि वह जनता के कल्याणार्थ विधियों बनाने में उनको लागू करे। मूल अधिकारों और राज्य की नीति निदेशक तत्वों, दोनों में व्यतीतिहत उद्देश्य समान रूप से, भइत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे साथ-साथ हैं, उस प्रकार के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस प्रकार के समाज का हम जारी में सूजन करना चाहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में से एक में निम्नवत् अधिकथित है:

“राज्य, अपने लोगों के पीछाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्रार्थनिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकार ओषधियों के, ओषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपचोल का प्रतिवेद्ध करने का प्रयत्न करेगा।”

३. २ स्वापक औषधि संबंधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, १९१२-५३

अक्षय और अन्य स्वापक ओषधियों के प्रदाय का नियंत्रण और वित्तिभूमि करने के लिए 1912-53 के बीच निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय कानूनेशन हुए थे—

१९१२ अंतर्राष्ट्रीय अक्सिम कलेज (सैन २-३-१९१२)

1925 नियमित अक्षोभ के विनियोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उदयोग की मालव करार (जनवरी 13-7-1925)

1931 स्वापक ओषधि के चिनिर्माण और वितरण से संबंधित कन्वेजन (जनवरी 13-7-1931) सुदूर पूर्व में अफ्रीस पीनी की आवश्यकता करार (वैकाक 27-11-1931).

1936 खतरनाक जोप्रधि में अवैध व्यापार को रोकने के लिए कत्तेश्वर (जनवार 26-6-1936)

1946 वर्ष 1992, 1925, 1931 और 1936 की लिखतों का संशोधन कर्त्ता प्रोटोकॉल
(लेक सबसेस 11-12-1946)

1948 वर्ष 1931 के कल्पनाशक का सियेटिक स्वापक जोषधियों पर विस्तार संबंधी प्रोटोकॉल (पैरिस 19-11-1948)

1953. अफीम पोस्ट की खेती-बाही तथा अक्षरिय के उत्पादन, व्यापार संबंधी कार्यवैधत

३. ३ स्वापक औषधियों संबंधी दस्तावेज़ १९६१

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सफेदपौष अपराध बहुत ही संकटपूर्ण बन गए हैं। सफेदपौष अपराधों के अधीन "ओषधि अप्यस्तता" और "स्वापक ओषधि और मनप्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार" ऐसी विभीषिका बन गई है कि स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार से आने वाले खतरों ने विश्व समुदाय को प्रभावित किया है और वे अंतरराष्ट्रीय कर्नेशन के विषय बन गए हैं। भारत, "स्वापक ओषधि संबंधी एकल कर्नेशन, १९६१" का एक पक्षकार है जिसकी उद्देशिका में, संक्षिप्त रूप में, निम्नलिखित शब्दों में स्वापक औषधियों के दुर्घटनाक उपायों के भवत्व का उल्लेख किया गया है:

"मानव स्वास्थ्य और कल्याण से संबद्ध प्रयोग पक्षकार,

यह समन्वय हुए कि कष्ट और पीड़ा से छुटकारे के लिए स्वापक औषधियों का चिकित्सीय उपयोग अपरिहार्य बना रहा है और ऐसे प्रयोजनों के लिए स्वापक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपबंध बनाए जाने चाहिए,

यह समन्वय हुए कि स्वापक औषधियों की अप्यस्तता व्यक्ति के लिए एक गंभीर बुराई है और इससे मानवता के प्रति सामाजिक और धार्थिक खतरे की आशंका है।

इस दुराई के निवारण और उसका मुकाबला करने के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहकर,

यह विचार करते हुए कि स्वापक औषधियों के दुर्घटनाक उपयोग के विश्व प्रभावी उपायों के लिए सहयोगिता और सार्वभौमिक कार्रवाई अपेक्षित है,

यह समझते हुए कि ऐसी सार्वभौमिक कार्रवाई के लिए, एक ही सिद्धांत तथा साधारण उद्देश्य के लक्ष्य द्वारा सार्वदीर्घ अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

स्वापक ओषधि नियंत्रण के क्षेत्र में, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्षमता को स्वीकार करते हुए और इस बात की इच्छा रखते हुए कि संबंध अंतरराष्ट्रीय अंगों को इस संगठन के ढांचे के भीतर होता चाहिए।

स्वापक औषधियों से संबंधित विद्यानांक संधियों को प्रतिस्थापित कर साधारणतः स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय कर्नेशन के नियंत्रण की इच्छा रखते हुए, ऐसी औषधियों को चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग तक सीमित करते हुए और ऐसे लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नियंत्रण के लिए उपबंध करते हुए।

कर्नेशन ने, अनुच्छेद में यह अधिकारित करने के पश्चात् कि पक्षकार को विधिक प्राधिकार के बिना औषधियों को कब्जे में रखने की अनुमति नहीं थी, अनुच्छेद ३५ में अवैध व्यापार के विश्व कार्रवाई के लिए और कर्नेशन के अनुच्छेद ३६ में दाँड़िक उपबंध के लिए व्यवस्था की, जो निम्नलिखित है:-

अनुच्छेद ३५

"अवैध व्यापार के विश्व कार्रवाई"

पक्षकार अपने संवैधानिक विधिक और प्रशासनिक प्रणालियों को सम्बन्धित ध्यान में रखते हुए:-

(क) राष्ट्रीय स्तर पर अवैध व्यापार के विश्व निवारक और निरोधक कार्रवाई के सहयोगन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था करें, इस उद्देश्य के लिए वे ऐसे सहयोग के लिए एक उत्तरदायी समुचित अभिकरण सहजतः नामित कर सकेंगे;

(ख) स्वापक औषधियों में अवैध व्यापार के विश्व अभियान में एक दूसरे की सहायता करें;

(ग) एक दूसरे के साथ और उन सात अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ, जिनके सदस्य हैं, अवैध व्यापार के विश्व सहयोगिता अभियान चलाने की दृष्टि से, निकटः सहयोग करें;

(घ) यह सुनिश्चित करें कि समुचित अभियानों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग शीघ्रता पूर्वक किया जाता है, और

(ङ) यह सुनिश्चित करें कि जहां विधिक कागजात अभियोजन के प्रयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से संत्रेपित किए जाते हैं वहां ऐसा संत्रेपण पक्षकारों द्वारा अभिहित निकायों को त्वरित रीत से किया जाएगा, यह अपेक्षा किसी पक्षकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, वह यह अपेक्षा करें कि विधिक कागजात इसे राजनीतिक चैलन के साथसाथ से भेजे जाएं।

अनुच्छेद ३६

वैधिक उपबंध

१. (क) प्रत्येक पक्षकार अपनों संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे उपाय अपनाएंगा जो यह सुनिश्चित करें कि इस कर्नेशन के उपबंधों के प्रतिकूल, औषधियों की खेतीबाड़ी, उत्पादन, विनिर्माण, निस्तारण, निर्मित, कब्जा, पेश करना, विक्रय के लिए पेश करना, वितरण, क्रय, विक्रय, किसी नीति शर्त पर परिदान, वह जाहे जो भी हो, दलाली, प्रेषण, पारेवण में प्रेषण, परिवहन, निर्यात और आयात तथा कोई अन्य कार्रवाई जो ऐसे पक्षकार को राय में इस कर्नेशन के उपबंधों के प्रतिकूल हो सकती है, साथसाथ किए जाने पर दंडनीय अपराध होगी और वह गंभीर अपराध पर्याप्त दंड के, विशेष रूप से कारबास या स्वतंत्रता के अपबंधन की अन्य शास्त्रियों के लिए दायी होंगे।

(ख) पूर्वती उपर्यौक्त में किसी बत के होते हुए भी, जब औषधि के दुर्घटनाकर्ताओं ने ऐसा अपराध किया है तो पक्षकार या तो दोषसिद्ध अद्यता दंड के साथ-साथ यह उपबंध कर सकेंगे कि ऐसे हुए-पर्याप्तकर्ता, अनुच्छेद ३८ के पैरा (i) के अनुरूप उपचार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वास और सामाजिक पूतः समेकन के उपायों के अधीन होंगे।

२. किसी पक्षकार की संवैधानिक सीमाओं, विधिक प्रणाली और गृह विधि के अधीन रहते हुए, —

(क) (i) पैरा १ में वर्णित प्रत्येक अपराध, यदि विभिन्न देशों में किया जाता है तो विशिष्ट अपराध के रूप में माना जाएगा;

(ii) ऐसे किसी अपराध में अपराध करने के प्रयास के वड्यन में साथसाथ भागीदारी और इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, अर्थात् वृत्त और वित्तीय व्यवस्था, पैरा १ में यथा उपबंधित दंडनीय अपराध होगे;

(iii) ऐसे अपराधों के लिए विदेशी दोषसिद्धि, अपराध व्यवस्था स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, गणना में लिया जाएगा; और

(iv) इसमें इसके पूर्व निर्देशित गंभीर अपराध, जोहे राष्ट्रियों द्वारा या विदेशों द्वारा, उस पक्षकार द्वारा अभियोजित किए जाएंगे जिसके राज्यकान्त्र में अपराध किया गया था या या उस पक्षकार द्वारा जिसके क्षेत्र में अपराधी पाया जाता है, यदि उस पक्षकार की विधि के अनुरूप, जिसको आवेदन किया जाता है, प्रत्यर्पण गाहय नहीं है और यदि ऐसा अपराधी पहले ही अभियोजित नहीं किया गया है और निर्णय नहीं दिया है।

(ख) (i) इस अनुच्छेद के पैरा १ और पैरा २ (क) (ii) में प्रणित प्रत्येक अपराध, पक्षकारों के बीच विद्यमान किसी प्रत्यर्पण संधि में प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में शामिल किया गया समझा जाएगा। पक्षकार उनके बीच होने वाली किसी प्रत्यर्पण संधि में ऐसे अपराधों को प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में सम्मिलित करने का बवन देते हैं;

(ii) यदि किसी पक्षकार को, जो किसी संधि की विद्यमानता पर संशर्त प्रत्यर्पण करता है, ऐसे अपराध से, जिसके साथ उसकी प्रत्यर्पण संधि नहीं है, प्रत्यर्पण के लिए अनुरूप प्राप्त करता है तो वह स्वविकल्प पर, इस कर्नेशन को, इस अनुच्छेद के पैरा १ और पैरा २ (क) (ii) में प्रणित अपराधों की बाबत प्रत्यर्पण के लिए विधिक आधार के रूप में मान सकता है। प्रत्यर्पण, अनुरूप किए गए पक्षकार की विधि द्वारा उपबंधित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए होगा;

(iii) ऐसे पक्षकार, जो किसी संघि की विद्यमानता पर संबंध प्रत्यर्पण नहीं करते हैं, इस अनुच्छेद के पैरा 1 और पैरा 2 (क) (ii) में प्रयगित अपराधों को अवृत्तरोध किए गए पक्षकार को विधि द्वारा उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए, अपने बीच प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में भाग्यता देंगे; और

(iv) प्रत्यर्पण, उस पक्षकार को, जिसको आवेदन किया जाता है, विधि के अनुसार, मंजूर किया जाएगा और इस पैरा के उपर्याप्त (i), (ii) और (iii) के होते हुए भी, पक्षकार को ऐसे सामलों में, जहां सभस्त्र प्राधिकारी यह समझते हैं कि अपराध पर्याप्त गंभीर नहीं है, प्रत्यर्पण नामंजूर करते जा अधिकार होगा।

3. इस अनुच्छेद के उपबंध अधिकारिता के प्रश्न पर संबद्ध पक्षकार को दाँड़िक विधि के उपबंधों के अध्यार्थीत होंगे।

4. इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट कोई बात इस सिद्धांत पर व्याप्त नहीं डालेगी कि वे अपराध, जिन्हें यह निवेद करती है, पक्षकार की गृह विधि के अनुसार परिभासित, अभियोजित और दंडित किए जाएं।

3. 4 दल: प्रभावी पदार्थ संबंधी कल्याण, 1971

इसके पश्चात्, मनःप्रभावी पदार्थ संबंधी कल्याण, 1971 अपनाया गया था, जिसका भारत एक पक्षकार है और उक्त कल्याण की उद्देश्यानुसार निम्नवलत उपबंधित है:—

“मानव व्यास्था और कल्याण से संबद्ध पक्षकार

कल्पित मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप, लोक व्यास्था और सामाजिक समस्याओं को जिन्ता सहित नोट करते हुए;

ऐसे पदार्थों के दुरुपयोग की ओर उस अवैध व्यापार को, जिसे यह जन्म देता है, रोकने और उसका मुकाबला करने का अवधारण करे।

यह विचार करते हुए कि विधिमान्य प्रयोजनों के लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग निर्विधित करने के लिए कठोर उपाय आवश्यक है;

यह विश्वास करते हुए कि ऐसे पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावी उपायों के लिए सहयोग और सार्वभौमिक कार्रवाई आवश्यक है;

यह स्वीकार करके कि मनःप्रभावी पदार्थों के नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ सभस्त्र और इच्छुक है कि संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अंग उस संगठन के हांचे के भीतर होने चाहिए;

यह मानते हुए कि इस प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कल्याण आवश्यक है।

यह: प्रभावी पदार्थों की नियमितियों के वाबद, विशेष उपबंधों के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् कल्याण के अनुच्छेद 20 में मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध उपायों, अनुच्छेद 21 में अवैध व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई, अनुच्छेद 22 में शास्ति उपबंध के लिए व्यवस्था निम्नलिखित शब्दों में की गई है:—

अनुच्छेद 20

दल: प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध उपाय

1. पक्षकार, मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग के निवारण के लिए, अंतर्रस्त व्यक्तियों के शीघ्र अभियान, उपचार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए सभी अवृद्धार्थ द्वय करें और इन सक्षमों के लिए अपने प्रभास सहयोजित करेंगे।

2. पक्षकार, जहां तक संभव हो, मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोगकर्ताओं के उपचार, पश्च देखरेख, पुनर्वास और पुनः एकीकरण में कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देंगे।

3. पक्षकार ऐसे व्यक्तियों को सहायता देंगे जिनका कार्य मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या की ओर उसके निवारण को समाप्त करना है और यदि ऐसी जीवित है कि ऐसे पदार्थों का दुरुपयोग अत्यधिक व्यापक हो जाएगा, तो जनसाधारण के मध्य ऐसी सभाका जल्दीन करेंगे।

अनुच्छेद 21

अवैध व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई

पक्षकार, अपने संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक प्रणालों को सम्यक्त ध्यान में रखते हुए,

(क) अवैध व्यापार के विरुद्ध निवारक कार्रवाई के सहयोगन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था करेंगे, इस लक्ष्य के लिए, वे ऐसे सहयोगन के लिए उत्तराधीय समुचित व्यविकरण को सफलतापूर्वक अधिहित कर सकेंगे;

(ख) मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध अभियान में एक दूसरे की लहान्यता करेंगे और विशेष रूप से, किसी व्यवहार की खोज या जब्ती के संबंध में, अनुच्छेद 16 के अधीन महासंचिव को संबोधित किसी रिपोर्ट की प्रति राजनयिक चैनल या इस प्रयोजन के लिए पक्षकारों द्वारा अभिहित सकाम प्राधिकारियों के मध्यम से प्रत्यक्षत संबद्ध अन्य पक्षकारों की तत्काल संप्रेषित करेंगे,

(ग) अवैध व्यापार विरुद्ध के समन्वित अभियान बनाए रखने की विष्टि से, एक दूसरे के साथ और उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ, जिनके वे सदस्य हैं, सहयोग करेंगे;

(घ) यह सुनिश्चित करेंगे कि समुचित अभियानों के द्वीप अंतरराष्ट्रीय सहयोगन शीघ्रतापूर्वक होंगे;

(इ) यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां विधिक दस्तावेज, व्यायिक कार्यवाही के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से संप्रेषित किए जाते हैं, वहां संप्रेषण पक्षकारों द्वारा अभिहित विकायों की शीघ्रतापूर्वी रीत से प्रभावी किए जाएं, वह अपेक्षा किसी पक्षकार के इस अवैधता करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रयाय डाले जाना होगी कि उसे विधिक दस्तावेज राजनयिक चैनल के माध्यम से भेजे जाएं।

अनुच्छेद 22

हाँडिक उपबंध

1. (क) प्रत्येक पक्षकार, अपनी संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहते हुए, कोई कार्य अवैध स्तर के अधीन उसकी वाद्यताओं के अनुसार अवैध गई व्यापित या विनियम के प्रतिकूल किया जाता है तो उसे दंडनीय अपराध मानेगा और वह सुनिश्चित करेगा कि गंभीर अपराध, पर्याप्त दंड जिशेष रूप से, कारावास के वा स्वतंत्रता के अपवंचन की अन्य शास्ति के दायी होंगे।

(ख) प्रूवकीय उपर्याका के होते हुए भी, जब मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोगों ने, ऐसे अपराध किए हैं तब पक्षकार या तो दोषसिद्धि या दंड के विकल्प के रूप में वा ऐसे दंड के साथ-साथ वह उपबंध सकेंगे कि एक दुरुपयोगकर्ता अनुच्छेद 20 के पैरा 1 अनुरूप उपचार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए उपबंध कर सकेंगे।

2. किसी पक्षकार को संवैधानिक सीमाओं, उसकी विधिक प्रणाली और गृह विधि के अधीन रहते हुए:— (क) (i) मदि पैरा 1 के अधीन अपराध गठित करने वाले संगत कार्यों की शुरुआत किसी भी दृष्टि में कारित की गई है तो उसमें से प्रत्येक कार्य के एक विशिष्ट अपराध माना जाएगा।

(ii) ऐसा कोई अपराध करने के लिए प्रधान किया गया पड़यंत्र जो साथ्य भागीदारी में हुआ है तथा इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराधों के संबंधों में, आरंभिक कार्य और वित्तीय सहायता, पैरा 1 में पा उपवर्धित दंडनीय अपराध होगे।

(iii) ऐसे अपराधों के लिए विदेश में हुई दोषसिद्धि अपराध व्यवसन स्वाधित करने के प्रधान जनक के लिए गणना में ली जाएगी ; और

(iv) इसमें इसके पूर्व किए गए निर्दिष्ट गंभीर अपराध, जो हार्डिकों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए गए हैं, उस पक्षकार हारा जिसके राजमंत्रीलाभिकार में अपराध हुआ था वा उस पक्षकार हारा जिसके राजमंत्रीहैं अपराधी पादा गया है, यदि प्रत्येक उस राज्य की विधि के अनुच्छेद स्वीकार्य नहीं है जिसका आवेदन किया जाता है और यदि ऐसा अपराधी पहले ही अभियोजित नहीं किया जा चुका है और दंड नहीं दिया जा चुका है तो अभियोजित किया जाएगा।

(v) यह बांधनीय है कि पैरा 1 और पैरा 2(क) (ii) में निर्दिष्ट अपराध किसी ऐसी प्रत्यर्पण संधि में प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में घोषित किए जाएं जो किन्हीं पक्षकारों के बीच हुई है या इसके पहचान ही और ऐसे पक्षकारों में से किन्हीं के बीच जो किसी संधि की विद्यमानता पर वा उसकी विद्यमानता पर समर्थ प्रत्यर्पण नहीं करते हैं इसे प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में मान्यता दी जाए।

परन्तु प्रत्यर्पण उस पक्षकार की विधि के अनुच्छेद नहीं किया जाएगा जिसको आवेदन किया जाता है और पक्षकार की ऐसी मान्यता में गिरजारी प्रभावी करने वा प्रत्यर्पण मंजूर करने से इकार करने का अधिकार होगा जहां सक्षम प्राधिकारी समझते हैं कि अपराध पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं है।

3. पैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट कोई अपराध करने के लिए प्रश्नकृत या आशयित कोई मनःप्रभावी पदार्थ या अन्य पदार्थ, साथ ही कोई उपस्कर जब्ती और समर्पण का दायी होगा।

4. इस अनुच्छेद के उपर्युक्त अधिकारियों के प्रश्न-पूछ, संबंध पक्षकार की यह विधि के उपर्युक्तों के अधीन होगे।

5. इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट कोई बात इस सिद्धांत पर प्रभाव नहीं डालेगी कि जो अपराध उसमें निर्दिष्ट है वे पक्षकार की यह विधि के अनुच्छेद परिभाषित, अभियोजित और दंडित किए जाएंगे।

3.5 स्वापक ओषधि संबंधी एकल कन्वेशन का संशोधनकारी प्रोटोकॉल, 1972 (जनवरी 25, 1972)

समय के बीतने के साथ यह पाया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वापक ओषधियों का अवैध व्यापार और अवैध उपयोग बढ़ रहा है और इसीलिए स्वापक ओषधि संबंधी एकल कन्वेशन, 1961 के संशोधन का विचार करने के लिए संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा संकल्प अपनाए गए थे और निम्नलिखित संकल्प 2 और 3 पारित किए गए थे।

संकल्प 2

स्वापक ओषधि नियंत्रण में सहायता

यह महसूस करते हुए कि विकासशील देशों को सहायता, सभी लोगों की सामाजिक और अर्थिक प्रगति के संबंधन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ चाटर्ट ने में अंतर्विष्ट प्रतिबद्धता का सम्मान करते की अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इच्छा की ठोस अभिव्यक्ति है;

यह स्मरण रखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए तकनीकी विशेष व्यवस्थाएं की गई

जी।

वह स्वीकार करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प, 2719(25) के अनुसरण में, ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निधि स्थापित की गई थी।

वह नोट करते हुए कि सम्मेलन ने स्वापक ओषधि संबंधी एकल कन्वेशन, 1961 के उपर्युक्तों के और प्रभावी निष्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता से संबंधित एक नया अनुच्छेद अंशीकार किया था ; सम्मेलन-

1. यह ओषधा करता है कि और प्रभावी होने के लिए, ओषधि दुरुपयोग के विरुद्ध किए गए उपाय समन्वित और सार्वभौमिक होने चाहिए ;

2. यह और ओषधा करता है कि कन्वेशन के अधीन विकासशील देशों द्वारा उनकी बाधताओं का पूरा किया जाना, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय सहायता द्वारा सुकर हो जाएगा।

संकल्प 3

ओषधि व्यवसन के विरुद्ध सामाजिक स्थिति और संरक्षण

यह स्मरण करते हुए कि स्वापक ओषधि संबंधी एकल कन्वेशन, 1961 की उद्देशिका में यह कथित है कि कन्वेशन के पक्षकार "मानव स्वास्थ्य और कल्याण" से सम्बद्ध हैं और वे "ओषधि व्यवसन की बुराई" के निवारण और उसका मुकाबला करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं।

यह विचार करते हुए कि सम्मेलन में हुई परिचर्चा में ओषधि व्यवसन के निवारण के लिए प्रभावी कदम उठाने की इच्छा का साथ्य लिया है।

यह विचार करते हुए कि ओषधि व्यवसन एक और वैयक्तिक पतन और सामाजिक विचटन की ओर ले जाता है और बहुधा ऐसा होता है कि वे दुखद सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ, जिनमें कतिपय व्यक्ति और कतिपय समूह रहते हैं, उन्हें ओषधि व्यवसन की ओर ले जाता है।

यह मानते हुए कि सामाजिक उपादानों को व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार का एक निश्चित और कभी-कभी निश्चित और अत्यधिक प्रभाव होता है।

सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि :-

1. पक्षकारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ओषधि व्यवसन बहुधा उस अस्वस्थ सामाजिक परिणाम का परिणाम है जिसमें वे लोग रहते हैं जो ओषधि दुरुपयोग के खतरे के अतिनिकट हैं।

2. पक्षकारों को जो कुछ भी उनकी शक्ति के भीतर है वह सब ओषधि के दुरुपयोग का प्रसार रोकने के लिए करना चाहिए।

3. पक्षकारों को युवावर्ग के आरोरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आवश्यक ननोर्जन और अन्य गतिविधियों का विकास करना चाहिए।

सत्रर के दशक के दौरान, ओषधि समस्याओं की तीव्र वृद्धि की आंशिक कारण महासभा द्वारा 1981 में एक अंतरराष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण नीति और एक पंचवर्षीय कार्य योजना (1982-1986) तैयार करनी पड़ी उसमें ओषधि नियंत्रण, व्यापार और असनियों के उपचार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित नीति गत उपायों की चूंचाला का एक उपबंध है। छह सूचीय रणनीति में, (i) विद्यमान संधियों के व्यापक सर्वर्थन के आधार से अंतर्राष्ट्रीय ओषधि नियंत्रण प्रणाली की सुधाराना, (ii) विधिमान्य उपयोग के लिए ओषधियों की पूर्ति और मांग के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सहयोगिता प्रयास करना, (iii) अवैध ओषधि व्यापार के उन्मूलन के लिए कदम उठाना जिसमें अवैध ओषधि उपादकों के लिए वैकल्पिक आदि साधनों की खोज करना भी है, (iv) गुप्त प्रयोगगालाओं और व्यापारिक संगठनों को खोजने तथा समाप्त करने के लिए संघर्षन प्रयास करना, और H-97-M/J261MoJ&CA-2

(v) ओषधि दुरुपयोग मिवारण के उपाय करने तथा ओषधि दुरुपयोगकर्ताओं के उपचार, पुनर्वासी और सामाजिक एकीकरण का संबंधित करना, कार्य योजना वै संयुक्त राष्ट्र संघ और सदस्य सरकारों और सामाजिक एकीकरण का संबंधित करना, कार्य योजना वै संयुक्त राष्ट्र संघ और सदस्य सरकारों के लिए इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप अधिकारित विए। स्वापक ओषधि आयोग की उनके कार्यविधिन को मानीटर करने और सहयोजित करने के लिए कहा गया है।¹

ओषधि व्यापार और ओषधि दुरुपयोग संबंधी 1984 की घोषणा में ओषधि व्यापार और ओषधि दुरुपयोग को “एक अंतरराष्ट्रीय अपराधिक गतिविधि” के रूप में अनेक देशों को “सुरक्षा और विकास” तथा लोगों के लिए गंभीर खतरा कहा गया है जिसका मुकाबला सभी नैतिक, विधिक तुरंत उपलब्धता में ऐसी ओषधि और पदार्थों के गुप्त विनिर्माण में वृद्धि को बढ़ावा दिया है, को मानीटर करने के लिए उपाय आवश्यक हैं।

ओषधि व्यापार और ओषधि दुरुपयोग संबंधी 1984 की घोषणा में ओषधि व्यापार और ओषधि आयोग से 1984 में, यह कहा गया कि वह उन क्षेत्रों के लिए, जो विद्यमान व्यापार के विश्व कर्मने आवश्यक होते हैं, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों में लिखत द्वारा अवर्याप्ततः आचलित प्रतीत होते हैं, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के विश्व एक नया अंतरराष्ट्रीय कर्मने आवश्यक है।²

3.6 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विश्व कर्मने, 1988 (विएना 20.12.1986)

अन्ततः, 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विश्व कर्मने आयोजित किया गया और उक्त कर्मने की उद्देशिका में स्वापक ओषधि व्यापार के विश्व कर्मने आयोजित किया गया और उक्त कर्मने की उद्देशिका में स्वापक ओषधि व्यापार के अवैध व्यापार पर निम्नलिखित शब्दों में गहरी चिन्ता व्यक्त की गई :

“इस कर्मने के पक्षकार, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध उत्पादन, सांग और व्यापार की माला और बढ़ते हुए व्यसन से अत्यधिक व्यथित हैं जो मानव स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति एक गंभीर खतरा है तथा समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ढाँचे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ;

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक प्रभावोंमें ल्यस्त अंतरिक वृद्धि द्वारा और विशेष रूप से, इस तथा द्वारा कि विश्व के अनेक भागों में अवैध ओषधि उपभोक्ता द्वारा के रूप में तथा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध उत्पादन, वितरण और व्यापार के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग किया जाता है, भी उत्पादन, वितरण और व्यापार के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग किया जाता है, जो कि अपरिकल्पनीय गुणता का खतरा पैदा करता है ;

यह मानते हुए कि अवैध व्यापार और अत्य संबद्ध संगठित दाँड़िक क्रियाकलापों के बीच संपर्क है जो अवैध अर्थनीति का अवमूल्यन करते हैं तथा राज्यों की स्थरता, सुरक्षा और सम्प्रभुता के लिए इस संपर्क को समाप्त किया जाना आवश्यक है ;

यह भी मानते हुए कि अवैध व्यापार एक अंतरराष्ट्रीय दाँड़िक गतिविधि है जिसके दमन के लिए त्वरित ध्यान और सर्वोच्च प्राथमिकता आवश्यक है ;

इस बात के जानकार हैं कि अवैध व्यापार अत्यधिक वित्तीय फायदा और सम्पत्ति देता है जो सम्प्रेषणीय दाँड़िक संगठनों को सरकार की संख्याना का तथा वैध वाणिज्यिक और वित्तीय कारबाह और समाज को उसके सभी स्तरों पर फ़ेदन करने, सामना करने और छष्ट करने में समर्थ बनाती है ;

यह विलिश्चय करके कि अवैध व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों को उनकी दाँड़िक गतिविधियों के आगमों से अपवंचित करना है और उसके द्वारा ऐसा करने के उनके प्रमुख प्रोत्साहन को समाप्त करना है ;

1. एस० दी०जोगाराच. “इन एकीकृत वैनल पानियों” 34 जे आई एल आई (1992) पृ० 277-278.

2. यथागत
3. यथोदय

यह इच्छा करके कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या के मूल कारणों को समाप्त करना है जिसमें ऐसी ओषधि और अवैध पदार्थों की मांग और अवैध व्यापार से उपात प्रचुर लाभ भी है ;

यह विचार करके कि कठिपय पदार्थों, जिनमें पुरोत्तीर सायन और विलेपक हैं, जिनका स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है और जिनकी तुरंत उपलब्धता में ऐसी ओषधि और पदार्थों के गुप्त विनिर्माण में वृद्धि को बढ़ावा दिया है, को मानीटर करने के लिए उपाय आवश्यक हैं ;

यह विलिश्चय करके कि समुद्र द्वारा अवैध व्यापार के दमन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सृधारना है ।

यह मानते हुए कि अवैध व्यापार का उन्मूलन सभी राज्यों का समूहिक दायित्व है और उस लक्ष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ढाँचे के भीतर सहयोजित कार्रवाई आवश्यक है ;

यह स्त्रीकार करते हुए कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है और यह चाहता है कि ऐसे नियंत्रण से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय अंगों को उस संगठन के ढाँचे के भीतर होना चाहिए ;

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के क्षेत्र में विद्यमान संघियों के मार्गदर्शन सिद्धांतों और नियंत्रण की उस प्रणाली की, जो उनमें उल्लिखित है, पुनः पुष्ट करते हुए ;

यह मानते हुए कि अवैध व्यापार के परिमाण और विस्तार तथा उनके गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए स्वापक ओषधि संबंधी एकल कर्मने, 1961, स्वापक ओषधि संबंधी एकल कर्मने, 1961 का संशोधनकारी प्रोटोकॉल, 1972 तथा मनःप्रभावी पदार्थ कर्मने, 1972 में उपर्याप्ति उपायों को पुनः प्रवर्तित करना और अनुपूरित करना आवश्यक है ;

यह भी मानते हुए कि अवैध व्यापार की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को दबाने के लिए दाँड़िक मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रभावी विधिक साधनों को सशक्त बनाना और बढ़ाना महत्वपूर्ण है ;

यह चाहते हुए कि एक व्यापक प्रभावी और प्रवर्तनशील अंतरराष्ट्रीय कर्मने बनाना है जो विनिर्दिष्ट रूप से अवैध व्यापार के विश्व हो और वह समझे कि समग्र समस्या के विभिन्न पहलू और विशिष्टतः वे पहलू समझे जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के क्षेत्र में विद्यमान संघियों में उपर्याप्त नहीं हैं ।

कर्मने के अनुच्छेद 3 में अपराधों और दंडों के लिए निम्नवत उपबंध हैं—

अनुच्छेद 3

अपराध और दंड

1. प्रत्येक पक्षकार ऐसे उपाय अंगीकृत करेगा, जो उसकी मृह विधि के अधीन, जब साध्य किए जाएं निम्न को दाँड़िक अपराधों के रूप में सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो :—

(क) (i) 1961 के कर्मने, प्रथा संशोधित 1961 के कर्मने या 1971 के कर्मने के प्रतिकूल किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, निस्सारण, निर्मित, आफर, विक्रय के लिए आफर, वितरण, विक्रय, किसी भी रूप में परिदान चाहे जो भी हो, दलाली प्रेषण, पारेषण में प्रेषण, परिवहन, आयात या निर्यात ;

(ii) 1961 के कर्मने और यथासंशोधित 1961 के कर्मने के उपबंध के प्रतिकूल, स्वापक ओषधि के उत्पादन के प्रयोजन के लिए अफीम पीस्ट, कोका के पौधे या कैनेविस पौधे की खेतीबाड़ी ;

(iii) उपर (i) में प्रणित किसी भी कियाकलाप के प्रयोजन के लिए, किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का कब्जा था क्य;

(iv) सारणी 1 और 2 में उल्लिखित किसी उपस्कर, सामग्री या पदार्थ का यह जानते हुए कि वे स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध खेतीबाड़ी, उत्पादन या विनिर्माण में प्रयोग किए जाने में या उसके लिए हैं, विनिर्माण परिवहन या चित्रण;

(v) उपर (i), (ii), (iii) या (iv) में प्रणित किसी अपराध का संगठन, प्रबंध या वित्तपोषण;

(छ) (i) किसी संपत्ति का संपर्कितन या अंतरण यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस पैरा के उपपैरा (क) के अनुसार, स्थापित किसी अपराध या अपराधों से या ऐसे अपराध या अपराधों में भागीदारी की कार्य से कि किसी संपत्ति के अवैध मूल्य को छिपाने या छद्म रूप में देने के प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए, जो ऐसे अपराध या अपराधों के किए जाने में अंतर्गत है, उसके कार्यों के हुए परिणामों से बचाने के लिए उपाप्त हुई है;

(ii) किसी संपत्ति की बाबत या उसके स्वामित्व के संबंध में, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस पैरा के उपपैरा (क) के अनुसार, स्थापित किसी अपराध या अपराधों से उपाप्त हुई है, सही प्रकृति, स्रोत, अवस्थिति, विन्यास, गतिविधि, अधिकार को छिपाना या छद्म रूप देना;

(ग) अपने संबंधानिक सिद्धांतों और विधिक प्रणाली की आधारिक संरचना के अधीन रहते हुए, ---

(i) किसी संपत्ति का अर्जन, कब्जा या उपयोग, ग्राप्ति के समय यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस पैरा के उपपैरा (क) के अनुसार, स्थापित किसी अपराध या अपराधों अथवा ऐसे अपराध या अपराधों में भागीदारी के कृत्य से उपाप्त हुई थी;

(ii) सारणी 1 और 2 में दुचीबढ़ किसी उपस्कर या सामग्री या पदार्थ का कब्जा यह जानते हुए कि वे स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध खेतीबाड़ी, उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग किए जा रहे हैं या उपयोग किए जाने हैं या उनके लिए हैं;

(iii) किसी भी साधन से सावेजिक रूप से दूसरों को उत्प्रेरित करना या प्रतीक्षन देना कि वे इस अनुच्छेद के अनुसार, स्थापित कोई अपराध करें या अवैध रूप से इस अनुच्छेद के अनुसार, स्थापित कोई अपराध करें या अवैध रूप से स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थों का उपयोग करें;

(iv) इस अनुच्छेद के अनुसार, स्थापित किसी अपराध के करने में भागीदारी, सहयोग या करने का घड़यां, करने के प्रयास और करने में सहायता देना या दुष्प्रेरण करना, सुकर बनाना और सलाह देना।

2. प्रत्येक पक्षकार अपने संबंधानिक सिद्धांतों और अपनी विधिक प्रणाली की मूलभूत संकल्पनाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे उपाय अपनाएंगा जो उसकी गृह विधि के अधीन दाङिक अपराध के रूप में किसी कृत्य को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं जब वह साशय 1961 के कानूनेशन, साशयांशोधित 1961 के कानून या 1971 के कानूनेशन के उपबंधों के प्रतिकूल निजी उपयोग के लिए स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थों के कब्जे, क्रय या खेतीबाड़ी के लिए किए गए हों;

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में अधिकारित किसी अपराध के एक तत्व के रूप में अपेक्षित जानकारी साशय या प्रयोजन, वस्तुपत्रक वास्तविक परिस्थितियों से निकाला जा सकेगा।

4. (क) प्रत्येक पक्षकार इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित अपराधों का किया जाना दंड का, जैसे कि कारावास या स्वतंत्रता के अपवंचन के अन्य रूप, आर्थिक दंड और अधिग्रहण का दायी बनाएँगा और इन अपराधों की गंभीर प्रकृति को गणना में लेगा;

(ख) पक्षकार, इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि या दंड के साथ-साथ यह उपबंध कर सकेगा कि अपराधी, उपचार, शिक्षा, पश्चदेखरेख, पुनर्वास या सामाजिक पुनः एकीकरण जैसे उपायों के अधिकृत होंगा।

(ग) पूबकर्ता उपवरा में किसी बात के होते हुए भी, लघु प्रकृति के समुचित भागलों में, पक्षकार दोषसिद्धि या दंड के विकल्प के रूप में शिक्षा, पुनर्वास या सामाजिक पुनः एकीकरण, जैसे उपाय और साथ ही जब अपराधी ओषधि दुष्प्रयोग करता हो तो उपचार और पश्चदेखरेख का उपबंध कर सकते हैं।

(घ) पक्षकार इस अनुच्छेद के पैरा के अनुसार, स्थापित किसी अपराध के दो तो दोषसिद्धि या दंड के विकल्प के रूप में अपराधी के उपचार, शिक्षा, पश्चदेखरेख, पुनर्वास या सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए उपायों का उपबंध कर सकेंगे।

5. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय और अधिकारिता रखने वाली अन्य सकान प्राधिकारी उन वास्तविक परिस्थितियों को हिसाब में लेंगे जो इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित अपराध का किया जाता, विशेष रूप से अंशीर बनाते हैं, जैसे कि—

(क) किसी ऐसे लंगठित आपराधिक तमूह की, जिसका अपराधी सदस्य है, अपराध में अंतर्गतता;

(ख) अपराधी की अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक गतिविधियों में अंतर्गतता;

(ग) अपराध के किए जाने वे सुकर हुई अन्य अवैध गतिविधियों में अपराधी की अंतर्गतता;

(घ) अपराधी हारा हिता या धायुद्धों का प्रयोग;

(इ) यह तथ्य कि अपराधी कोई लोक पद धारण करता है और अपराध प्रश्नगत पद से संबद्ध है;

(ज) अवयस्कों को तंश करना और उनका उपयोग;

(झ) यह तथ्य कि अपराध किसी शास्त्रिक संस्था या किसी शैक्षणिक संस्था या किसी सामाजिक सेवा प्रसुविधा या उनके ठीक निकटस्थ या अन्य ऐसे स्थानों में किया गया है जिनमें स्कूली बालक और छात्र और विद्यार्थी शैक्षणिक, कीड़ा और सामाजिक गतिविधियों के लिए आश्रय लेते हैं;

(ज) पूर्व दोषसिद्धि, विशेष रूप से समरूप अपराधों के लिए, चाहे विदेशी हो या स्वदेशी पक्षकार की गृह विधि के अधीन अनुशेष सीमा तक;

6. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अनुच्छेद के अनुसार, स्थापित अपराधों के लिए व्यक्तियों के अधिकारित संबंधित उनकी गृह विधियों के अधीन और उन अपराधों की बाबत विधि प्रबंधन उपायों की प्रभावशीलता और ऐसे अपराधों का होना रोकने की ज़रूरत की बाबत सम्पूर्ण ध्यान रखते हुए, किसी विवेकी विधिक शक्ति का प्रयोग अधिकतम सीमा तक किया जाता है।

7. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय या अन्य सकान प्राधिकारी, ऐसे अपराधों के सिद्धांतों व्यक्तियों की शीघ्र उन्नुक्ति या पैराल की संसाधन पर विचार करते समय, इस अनुच्छेद के पैरा 1 में प्रणित अपराधों की गंभीर प्रकृति और इस अनुच्छेद के पैरा 5 में प्रणित परिस्थितियों की ध्यान में रखें।

8. प्रत्येक पक्षकार, जहां समुचित हो, इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित किसी अपराध के लिए कार्रवाई आरंभ करने की वह परिसीमा अधिक रखेंगे और वहां एक दीर्घ अवधि रखेंगे जहां किसी अपराधीने न्याय प्रशासन से बचना चाहा।

3. 8 उपयुक्त विधायी संशोधन

भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों और अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों का अध्ययन इस उद्देश्य से किया गया है कि भारत में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित विधि में आवश्यक संशोधन शामिल किए जाएं क्योंकि भारत के संविधान में उपयुक्त राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 47 और अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों की समति में उपयुक्त विधि बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करे, भारत इन कन्वेशनों का एक पक्षकार है और इसके उपर्योग को यह विधि में संशोधन करते समय, विशेष रूप से स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की बारा 4(2)(ब) के उपर्योगों को घोन में रखते हुए, सम्प्रकृतः स्थान मिलना चाहिए। इस बारा में निम्नवत् उपर्योग है :—

4. केन्द्रीय सरकार स्वापक ओषधि, आदि में अवैध व्यापार के निवारण और अवैध दुरुपयोग के लिए उपाय करेगी :—

(1) इस अधिनियम के उपर्योग के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों और उनके अवैध व्यापार के निवारण और अवैध दुरुपयोग के प्रशोजन के लिए ऐसे सभी उपाय करेगी, जो बहु आवश्यक और समीचीन तरीके।

(2) विभिन्नता और उपचारा (1) के उपर्योगों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव आले बिना, ऐसे अव्युत्पादों के अंतर्गत, जो केन्द्रीय सरकार इस उपचार के अधीन करे, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विधियों के संबंध में अध्ययन हैं; अर्थात् :—

(क) विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा :—

(i) इस अधिनियम के अधीन; या

(ii) इस अधिनियम के उपर्योगों के प्रबलंग के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि वे अधीन कार्यवाहियों का समन्वय;

(ख) अंतरराष्ट्रीय कन्वेशनों के अधीन व्यापकताएं।

(ग)

(घ)

(छ)

9. प्रत्येक पक्षकार, यह सुनिश्चित करने के लिए, अपनी विधिक प्रणाली से संगत समुचित उपाय करेगा कि इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित किसी अपराध का आरोपित या सिद्धांदेष्य व्यक्ति, जो उसके राज्य आवश्यक दाङिक कार्रवाई में उपस्थित रहता है, आवश्यक दाङिक कार्रवाई में उपस्थित रहता है।

10. इस कन्वेशन के अधीन पक्षकारों के मध्य सहयोग के प्रयोजन के लिए, जिनमें विशिष्टतः अनुच्छेद 5, 6, 7 और 9 के अधीन सहयोग है, इस अनुच्छेद के अनुसार, स्थापित अपराध, पक्षकारों की संबंधानिक सीमाओं और उनकी मूल गृह विधि पर प्रतिकूल प्रभाव आले बिना, आवश्यक अपराध या राजनीतिक अपराध या राजनीति से प्रेरित अपराध के रूप में नहीं भाने जाएंगे।

11. इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट कोई बात, इस सिद्धांत पर प्रभाव नहीं डालेगी कि उन अपराधों का वर्णन, जो इसमें निर्दिष्ट हैं और उनसे संबंधित बचाव पक्षकार की गृह विधि के अधीन प्राप्त होता है और ऐसे अपराध उस विधि के अनुरूप अभियोजित और दंडित किए जाएंगे।

3. 7 नियंत्रित परिवान

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार के विरुद्ध कन्वेशन, 1988 के अनुच्छेद 11 में, यदि गृह विधिक प्रणाली द्वारा अनुज्ञेय है तो “नियंत्रित परिवान” के उपयोग के लिए उपर्योग है।

सुविधा के लिए अनुच्छेद 11 नीचे उद्धृत किया जा रहा है :—

“1. यदि, पक्षकार तत्संबंधी गृह विधि प्रणालियों के मूलभूत सिद्धांतों द्वारा अनुज्ञेय हो तो वे अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित अपराधों में अंतर्रास्त व्यक्तियों को पहचानने की दृष्टि से और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए परस्पर सहमत करारों या ठहरावों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित परिवान के समुचित उपयोग के लिए अपनी संभावनाओं के भीतर अनुज्ञात करने हेतु आवश्यक उपाय करें।

2. अनियंत्रित परिवान का उपयोग करने का विशिष्य भासले के आधार पर किया जाएगा और मानव, जहां आवश्यक हो, संबद्ध पक्षकारों द्वारा अधिकारियों के प्रयोग की बाबत वित्तीक ठहरावों और अवदोधों को दिचार में लेंगे।

3. अवैध पारेषण, जिनका नियंत्रित परिवान तथा पादा है, संबद्ध पक्षकारों की सहमति से विवरित किए जा सकते हैं और उन्हें स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थों को उसी रूप से बनाना अनुज्ञात किया जा सकता है अथवा पूर्णतः या भागतः हटाया या प्रतिस्थापित किया जा सकता है।”

इसलिए, कन्वेशन की जिसका भारत एक पक्षकार है, इस संबंध में आधिनियम में एक नई धारा इस आधार को समिलित करके उपयुक्त संशोधन कर प्रभावी बनाना आवश्यक है कि पारेषण की अग्रिम गतिविधि का पता लगाया जाए और पारेषण का परिवान लेने वाले अंतिम व्यक्तियों सहित संबद्ध व्यक्तियों को नजरबन्द, गिरफ्तार और अभियोजित किया जाए।

वर्ष 1990 से जब से यह कन्वेशन प्रभाव में आया, अनेक देशों में कन्वेशन का अनुसमर्थन कर दिया है। अनेक राज्यों ने नए विधान बना लिए हैं अथवा विचारान् विधानों को संशोधित कर दिया है और महाजनीय प्रति उपाय कार्यान्वयन करने के लिए विनियम पुरःस्थापित किए हैं। कुछ देश एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने वित्तीक एकान्तरास्त टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशों अपना ली है जो सात प्रमुख औद्योगिक देशों के प्रमुख या सरकार और सी०३००३० के अध्यक्ष द्वारा स्थापित किया गया था।¹

पर्वताभासी व्यापारों और उपायों के होते हुए भी, विश्व के अधिकांश भागों में महाजनीय विना रोक-टोक चल रही है। यद्यपि, कुछ राज्यों द्वारा प्रभावी प्रति उपायों के कारण विश्व के कुछ भागों में महाजनीय की लागत पर्याप्ततः अधिक हो गई है।²

¹ डी आई.जी. सलीम तारिक लोन द्वारा यह एशिया भरी लांडरिय सिपोजियम—12—14 दिसम्बर, 1995 में प्रस्तुत लेखे “भौजिय व्यापार के विश्व प्रभावी रणनीति के द्वय में आस्तियों का सम्पर्क”।

² अधोकृत।

प्रथमांश् ४

ज्ञापक औषधि और भनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम : एक परीक्षण

4.1 विषय-वस्तु-भारत में स्वापक ओषधियों से संबंधित विधि राज्य विधान के अतिरिक्त तीन केन्द्रीय अधिनियमों, अर्थात् (क) अफीम अधिनियम, 1857, (ख) अफीम अधिनियम, 1878 और (ग) खतरनाक ओषधि अधिनियम, 1930 द्वारा प्रशासित की जा रही थी, जिसमें अपराधों के लिए दंड का उपबंध था किन्तु वह ओषधि व्यापार पहली विभीषिका के अनुरूप नहीं थी। यह महसूस किया गया था कि ओषधि व्यापार और औषधियों का अवैध व्यापार ऐसे नियंत्रिक मोड़ पर आ गया है कि उसने केवल व्यापिक नामांक के स्वारूप को ही प्रभावित नहीं किया है अपिन्तु, सम्पूर्ण राष्ट्र को हिला किया है। इस विभीषिका को देखते हुए, भारतीय संसद् में स्थिति की गंभीरता और स्वापक ओषधि और मन-प्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े उपबंधों की आवश्यकता महसूस की। तदनुसार पूर्व अधिनियमों को निरसित करके स्वापक ओषधि और मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम अधिनियमित किया गया था, जिसके द्वारा अधिकांश अपराधों की बाबत सक्षम कारबास, जो दस वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा और जुम्हारा, जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, दंड विहित किया गया। स्वापक ओषधि और मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार, अधिनियम का लक्ष्य है (क) स्वापक ओषधि यों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना, (ख) स्वापक ओषधि और मन-प्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबंध करना।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम इसलिए अधिनियमित किया गया था कि पूर्व अधिनियमों के अधीन शास्त्रियां, तस्करों के सुसंगठित गैरिंगों की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हूप से भयोपरायी नहीं थी। उदाहरण के लिए, खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 में किसी अपराध के लिए जुमने सहित या रहित तीन वर्ष के कारावास की अधिकतम अवधि और पश्चातवर्ती अपराधों की बाबत जुमने सहित या रहित चार वर्ष के कारावास की अवधि उपर्याप्ति थी, जिसके परिणामस्वरूप, बहुधा औषधि व्यापारी न्यायालयों द्वारा नाममात्र का दब देकर छोड़ दिए गए थे। समय के साथ-साथ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर अन्तरराष्ट्रीय विधि का एक विशाल निकाय, उन विभिन्न स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से उभरा है जिनमें भारत एक पक्षकार था और जिसमें अनेक अंतरराष्ट्रीय संघियों और ग्रोटोकालों से उभरा है जिनमें भारत एक पक्षकार था और जिसके बाध्यताएं उल्लिखित थीं जो पूर्णतः या भागतः स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती थीं। अतः, यह मह संक्षिप्त किया गया था कि 1988 के अधिनियम का औषधि दुरुपयोग अंतर्गत नहीं आती थी। अतः, यह मह संक्षिप्त किया गया था कि 1988 के अधिनियम का औषधि दुरुपयोग और औषधि व्यापार की विभीषिका को कम करने के लिए और कठोर बनाने हेतु और संजोधन अपेक्षित थे। तदनुसार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, पारित किया गया था जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:—

(क) विनिर्दिष्ट अपराधों की बाबत जिसमें कतिपय औषधियों की विनिर्दिष्ट मात्रा अन्तर्गत है, द्वितीय दोषसिद्धि पर मृत्यु का उपबंध करने के लिए नई धारा 31(क) का अंतःस्थापन।

(ब) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कोई दंड (धारा 27 से भिन्न) निलंबित नप्राप्त हो लें तभी किया जाना चाहिए ।

(ग) अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का विचारण, जब तक नई धारा 36 व्यक्ति के अधीन विशेष न्यायालय गठित नहीं किया जाता है, सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(ब) विशेष च्यायालयों के गठन का उपर्युक्त करने के लिए नई धारा 36क का अंतःस्थापन।

(ड) नई धारा 37 का अंतर्भापन, जिससे मूल अधिनियम की पुरानी धारा 37 पहुँच बदल करते हुए प्रतिस्थापित की गई कि अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञा और अज्ञानीय होगा।

(३) मूल अधिनियम की धारा 42 के अंतीन प्राविकृत अधिकारियों को, अवैध फसलों की कर्की बनाना।

(४) जबकि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अध्ययन का उपबोध करने के लिए नई धारा ५२ का अंतःस्थापन।

(ज) यह उपबंद्ध करने के लिए नई धारा 53क का अंत स्थापित कि किसी अस्थ अपराधों के अन्वेषण अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति हारा दिया गया और हस्ताक्षरित बयान, अधिनियम के अन्तीन अपराध साबित करने के प्रयोजन के लिए सुनिश्चित होगा।

(ज) कोई अधिकारी जिस पर अधिनियम के अधीन कोई कर्तव्य अद्विरोपित किया गया है या ऐसा व्यक्ति जिसे किसी व्यसनी या अधिनियम के अधीन किसी अपराध से आरोपित किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा को गई है और जो जानबूझकर अधिनियम के किसी उल्लंघन के अतिल्लंघन में सहायता करता है या सीधानुसत्ति देता है, उसी बंड से जो ओषधि आपार के अपराधियों को दिए जाने योग्य हैं, दंडनीय होया ।

(च) किसी अपसनी को उपसन मुक्ति या डिप्टोवर्सिफिकेशन के उपचार के लिए स्वेच्छा व्यक्त करने पर जीवन काल में एक बार उन्मुक्ति। यह उन्मुक्ति वापस ली जा सकती है यदि अपसनी उस प्रयोजन के लिए लिए पर्याप्त उपचार नहीं करता है।

(ट) अवैध व्यापार से उपास्त या उसमें प्रयुक्त सम्पत्ति में सम्पहरण से संबंधित सभी पहलुओं के लिए एक नए अध्याय का जोड़ा जाए। यह अध्याय अन्य बातों के साथ-साथ, अवैध रूप से अर्जित ऐसी सम्पत्ति को धारण करने का प्रतिषेध करता है जो स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थों के व्यापार से अर्जित सम्पत्ति के रूप में परिभाषित की गई है। इस अध्याय में अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की पहचान करने, जब्त करने या रोकने के लिए भी उपबंध है। इसमें सम्पहरण से संबंधित सभी पहलुओं से लिपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पदस्थापित करने, जब्त या सम्पहरण सम्पत्ति के प्रबंध के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने और ऐसी सम्पत्ति के लिए अनील अधिकारण के लिए उपबंध है।

(३) उपर्युक्तों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए नई धारा ७४ का अंतःस्थापन।

4. 2 अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में अपराधों के लिए दंड का उपबंध है। 1989 के अधिनियम सं. २ द्वारा यथासंशोधित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड उपबंध में उल्लिखित है।

4.3 अवैध आपार की समस्याओं का परिवर्णन

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21क के अधीन उपचारित भयोपरापी दंड, जिसमें भूत्यु दंड भी है, के उपजंघों के बावजूद स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध आपार और उपयोग की विभीषिका दंड रही है। प्रतिदिन हम सभाकार पत्तों में पढ़ते हैं कि भारत के एक या दूसरे भाग में प्रचुर भाक्षा में हिरोइन, चारस, अफीम या कुछ अन्य स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ पकड़े गए हैं। औषधि असन यावृत्तिक दग्ध का एक अभियाप बन गया है। यह ऐसी विभीषिका है जो जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है और जिसका परिणाम सामग्र व्यक्तित्व का विनाश हथा मानव अध्य-पतन के विभिन्न रूपों के लिए स्थितियों का संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप अस्तराध और विधिहीनता फैलती है, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध उपयोग का खिलौटक परिवर्तन, जो अतिभया-

वह रीतों की अपेक्षा अधिक भौतों के लिए उत्तरदायी है, आज सर्वेत एक बातक घटना बन गई है और भारत इसका अपवाद नहीं है। इस दुखद विकास का संहार विद्यमान विधि द्वारा पूरी तरह सहा नहीं जा सकता। परिणाम यह है कि धनी और निर्धन एक समान, जिनमें छात-छाताएं हैं, इन ओषधि और पदार्थों के सशक्त संगठित तत्त्वरों के हाथों शिकार हो रहे हैं जो अनतिकाल में प्रचुर धन इकट्ठा कर लेते हैं। यह मुख्यतः इस तथ्य के कारण है कि अभी भी प्रक्रियामक विधि में कुछ निहित खामियां हैं और अधिनियम की भारत में ओषधि अवसन्न और ओषधि व्यापार की समस्याओं को अधिक प्रभावी रीति से सुलझाने के लिए तत्काल राशीदान किया जाना आवश्यक है।

4.4 पता लगे हुए स्वापक मामलों में नवीनतम रुक्णान

अगस्त, 1966 (अंतिम) पूर्ववर्ती मास और पूर्ववर्ष की तरस्थानी अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए अधिगृहीत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ और निर्धनियम का सारांश निम्नकृत है:—

मात्रा किलोग्राम/लीटर में

विवरण	शबस्त, 96	पूर्ववर्ती मास की अवधि के दौरान (जुलाई, 96)	अंतिम वर्ष की तरस्थानी अवधिकैदीरान (अगस्त, 96)
हिपोइन	113.181	54.026	84.946
अफ्फेम	23.915	65.610	55.173
चरस/हर्षीस	236.207	40.463	638.495
कोकीन	—	—	—
भाराजीन	—	—	—
गांजा	431.525	831.550	5240.105
मैथाक्सेलोन	—	—	—
मनःप्रभावी	—	—	—
एसिटिक एनहाईड्राइड	—	—	140 लीटर

लोक : भारत सरकार, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

ओषधि अधिनियम रिपोर्ट, अगस्त, 1996

उपवंश 4 की सारणी में वर्ष, 1992, 1993, 1994, 1995

और 1996 के दौरान जब ती मई विभिन्न ओषधियों की मात्रा किलोग्राम में और मामलों की संख्या दर्शित है।

4.5 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में खामियां

उपयुक्त परिचर्चा यह से स्पष्ट है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियम भारत में ओषधि व्यापार और ओषधि व्यसन की विभीषिका को घटाने के बांधित परिणाम नहीं है सकता, इसका कारण स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रवर्तन में निहित कमियां हैं जिन्हें अधिनियम के उचित संशोधन द्वारा सुलझाना आवश्यक है। इन कमियों और उनके लिए विचारों का विवरण निम्नकृत है:

(क) ऐसे जपराध के विरुद्ध सामाजिक बंड का अभाव—समाज पर ऐसे अपराधों के संघर्ष के बारे में, लोक अभिमत और लोक जागरूकता का अभाव है और कोई भी तब तक इस विषय के बारे में प्रबाद नहीं करता है जब तक कि उसके कुटुम्ब का कोई व्यक्ति ओषधि

व्यसन की समस्या द्वारा प्रभावित नहीं हो जाता है। अतः शिक्षा और लोक प्रचार के माध्यम से ओषधि दुरुपयोग के खतरों के प्रति सामाजिक जागरूकता का सुजनन करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और समाचार पत्रों में रिपोर्टों को प्रकाशित करके प्राथमिक संगोष्ठियों करना, आवश्यक है और ओषधि दुरुपयोग के खतरों को विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए सीधिनर सैकट्टी स्कूलों और महाविद्यालयों के धैर्यक्रमों में भी शामिल किया जा सकता है और इस स्थिति का सामना करने के लिए यह बाकीनीय है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की द्वारा (च) की उपचारा (2) (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उपचारा रखी जाए—

"(छ) व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चदेखरेख, पुनर्वसि, सामाजिक पुनर्विकारण तथा शिक्षा/प्रचार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों के माध्यम से, उनके विचार-विग्रह को व्यापक प्रवार देकर और समाचार पत्रों में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित कर ओषधि दुरुपयोग के खतरे के प्रति सामाजिक जागरूकता का सुजन।"

(छ) कोका के पौधों, अफीम पोस्त और वैनेसित पौधों की जंगली उपज—कैनविस और कोका पौधा या अफीम पोस्त की जानकारी में न आई जंगली उपज अधिनियम के अपराध नहीं है; फिर भी, उनकी विना अनुज्ञित खेतीबाड़ी अपराध है। इससे प्रचलित ओषधि आपायियों द्वारा जंगली उपज के बहाने से सरकारी भूमि/वन भूमि पर इन पौधों की खेतीबाड़ी की जाती है। अतः, यह अपेक्षित है कि ऐसे पौधों की जंगली उपज की रिपोर्ट वनभूमि पर उपज की बाबत दब विभाग द्वारा की जानी चाहिए और सरकारी भूमि पर उपज की बाबत राजस्व अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए और जानकारी भिलवै पर कुविम रीति से उपज में अधिक्षित विनाश की बाबत, ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। तदनुसार, एक नई द्वारा 47क निम्नलिखित स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ में अतःस्थापित की जानी चाहिए:—

"47क—कार्रवाई करने की बन अधिकारी और राजस्व अधिकारी का कर्तव्य—प्रत्येक बन अधिकारी और राजस्व अधिकारी, व्यास्थिति, उसकी अधिकारिता के भीतर, जब उसकी जानकारी में किसी प्रत्याम पर आता है या लाया जाता है कि बन भूमि या सरकारी भूमि पर कोका के पौधों, अफीम पोस्त या कैनविस के पौधों की जंगली उपज होती है तो उसकी इत्तला तत्काल इस निम्नित मैट्रोपोलिटन भजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक भजिस्ट्रेट या विशेष रूप से सशक्त किसी भजिस्ट्रेट को या द्वारा 42 के अधीन तयाकल राजपत्रित रूप के किसी अधिकारी को तत्काल देगा जो ऐसी जानकारी के प्राप्त होने पर, ऐसा समुचित आदेश, जिसमें पौधों को नष्ट करने का आदेश भी है, जो वह वीक समझे, पारित कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक बन अधिकारी या राजस्व अधिकारी जो जनबूझकर ऐसी जानकारी देने में उपेक्षा करता है, दंड का दायी होगा।"

(ग) प्रक्रियात्मक विधि में प्रचलित खामियां—स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अध्याय 5 में तलाशी और अभिग्रहण करने की प्रक्रिया के लिए उपवंश है। दूसिं, भयोपराधी दंड का उपवंश किया गया है इसलिए विद्यार्थियों ने प्रक्रिया और कड़ी बनाई। कुछ उच्च न्यायालयों ने, यह अभिनिवार्सित किया है कि अध्याय 5 में अधिकारित प्रक्रिया आज्ञापक है जब कि अच्युत्यालयों, ने उसे निदेशात्मक अभिनिवार्सित किया है। तथापि, यह विसंगति अंततः, उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम बलबीर तिहाई के मामले में, कुछ उपवंशों को आज्ञापक और अच्युत्यालयों को निदेशात्मक अभिनिवार्सित करते हुए सुलझा दिया है। इस प्रकार, अध्याय 5 में समाविष्ट प्रक्रियात्मक विधि में, शीर्षस्थ न्यायालय के बलबीर सिह के मामले में दिए गए महत्वपूर्ण तिर्यक्यों को ध्यान में रखते हुए, विनि को अप्रभावी बनाने हेतु संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

(घ) भामले के अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी का परिवर्तन—यह देखा गया है कि स्वापक मामलों का अन्वेषण एक से अधिक अन्वेषक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। परिणामतः, समुचित अन्वेषण नहीं हो पाता है और अन्वेषण में कुछ खामियां आ जाती हैं जो तकनीकी आधार पर, अभियुक्त को काफ़ी देती हैं जिससे अधिनियम के कठोर उपवंश व्यर्थ हो जाते हैं।

में दसूली के। राजस्व विभाग ने, अधिनियम के संशोधन के संबंध में, अपनी सिफारिशों में अधिनियम के अधीन हुए अपराधों के लिए और अधिनियम के प्रभावी कार्यविधन के लिए विशेष रूप से लघू मात्रा के कबजे के मामलों में दंड के उत्तरीकरण का सुझाव दिया है। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि दंड देना एक कला है, जिसमें अनेक उपादानों, जैसे अपराध की गुहता और अन्य परिस्थितियों का संतुलन अन्तर्प्रस्त है। न्याय शास्त्रियों द्वारा यह भी दीक्षिण्य है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 के उपर्यंथ, दंड देने के मामले में, समय की परीक्षा पर बरे उत्तर हैं। विधि आयोग का यह अभिमत है कि उसी के अनुसार, दंड विहित करने वाले स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपराधों पर भारतीय दंड संहिता और अन्य संशोधन द्वारा प्रकटित दंड देने की पठतियों के आधार पर, नए सिरे से विचार करना आवश्यक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हल्का दंड सदैव न्याय की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता किन्तु साथ ही साथ न्यायालय भी आमतौर पर सदैव गुहता पर विचार किए बिना कठोर दंड देने के इच्छुक नहीं रहते हैं। इस प्रकार, द्वारा 27 में ऐसे व्यक्तियों की बाबत, दंड का उपर्यंथ है जिनके पास उसमें कथित परिस्थितियों के अधीन कब मात्रा में यह पदार्थ पाए जाते हैं। इसका भी निम्नलिखित के अनुसार, उसमें एक नई उपद्वारा (3) अंतःस्थापित करके संशोधन किया जाना आवश्यक है:—

"(3) जहाँ किसी व्यक्ति के बारे में, यह दर्शित किया जाता है कि उसके कबजे में अल्प मात्रा में कोई स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ हैं और वह यह साक्षित करने में असक्ल रहता है कि वह ऐसे व्यक्ति के बैयक्तिक उपभोग के लिए न कि विक्रय या वितरण के लिए आवश्यित था वहाँ ऐसा व्यक्ति, इस अद्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जहाँ ऐसा स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जो कबजे में रखा गया था या उपयोग किया गया है, कोकीन, सारफीन, डाईप्सिट्स मारफीन या कोई अन्य स्वापक ओषधि या ऐसा कोई अन्य मनःप्रभावी पदार्थ है जो केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यव्यापक रूप से विनियोग किया जाए, वहाँ कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा; और

(ख) जहाँ ऐसा स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जो कबजे में रखा गया, या उपयोग किया गया है, खंड (क) में या उसके अधीन विनियोग किया जाए, वहाँ कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

(उ) अधिनियम को धारा 71 के अधीन यथा-उपर्युक्त कद्दों का व्यापक—यद्यपि, अधिनियम में व्यवसायियों की पहचान, उपचार और पुनर्बास के लिए कद्दों को स्थापित करने का उपर्यंथ है। किंतु यह देखा गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने, ऐसे केन्द्र पर्याप्त संख्या में स्थापित नहीं किए हैं। परिणाम यह है कि व्यसनी अपेक्षित ओषधि पाने के लिए ओषधि व्यापारियों के पीछे भाग रहे हैं और व्यसन सुनित और पुनर्बास के लिए इस उपर्युक्त का प्रयोग व्यर्थ हो गया है। इस प्रकार, सरकार को यह देखने की आवश्यकता है कि गैर-सरकारी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करके और यदि आवश्यक हो तो सरकारी अल्पतालों में एक छोड़ स्थापित करके धारा में अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त किया जाता है।

विष्कर्व—उपर्युक्त विचार-विमर्श को दृष्टि में रखते हुए कि यह आजापक है कि आयोग द्वारा सुझाव गए परिवर्तनों को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में उपर्युक्त संशोधन करके उसे औषधि व्यापार या ओषधि व्यसन की बुराई को रोकने में अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्यान्वयित किया जाए।

अतः, यह आवश्यक है कि जहाँ तक संभव हो, अधिनियम के अधीन किसी मामले का अन्वेषण किसी एक अधिकारी द्वारा संचालित या पूरा किया जाना चाहिए और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ में एक नई धारा 67क निम्नलिखित अंतःस्थापित की जानी चाहिए:—

"67क.—किसी संशोधन अधिकारी द्वारा अन्वेषण का पूरा किया जाना—प्रत्येक संशोधन अधिकारी जो इस अधिनियम के उपराधों के अधीन किसी मामले का निरीक्षण कर रहा है या जो उसके अध्याय 5 के अधीन कोई कार्रवाई करता है, अन्वेषण पूरा होने तक उसका भारतीय होगा जब तक कि परिवर्तन की अपेक्षा करने वाले वाधिकारी नहीं नहीं करता है यह कर्तव्य होगा कि वह कारण न हो जिन्हें अधिनियम किया जाएगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह कारण न हो जिन्हें अधिनियम के लिए विधि के अधीन ऐसे कदम उठाए और अनावश्यक विलंब किए जिन संशोधन को मामला पेश करे।"

(इ) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम शीघ्र विचारण के विशेष व्यायालयों को स्थापित न किया जाना:— स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम व्यायालयों की द्वारा 36, अधिनियम के अधीन मामलों के विचारण के लिए विशेष व्यायालयों की स्थापना की आवश्यक होती है। सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए, राज्यव्यापक रूप से अधिसूचना द्वारा उतने विशेष व्यायालयों का, जिनमें ऐसे श्वेतों के प्रयोजन के लिए, राज्यव्यापक रूप से अधिसूचना द्वारा उतने विशेष व्यायालय के मुख्य व्यायालय की शहस्रति से नियुक्त किया जाएगा।

यद्यपि, 1989 के संशोधनकारी अधिनियम धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित पूर्वोक्त धारा, आरत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 2/87 तारीख 29-5-1987 द्वारा 29 अप्रैल सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सं. 2/87 तारीख 29-5-1987 द्वारा जारी की गयी, 1989 से प्रवर्तन में आई, फिर भी लघूभग 8 वर्ष बीते जाने के पश्चात् भी नहीं किए हैं, जिससे उपर्युक्त अधिकारी राज्य सरकारों ने विशेष व्यायालय गठित नहीं किए हैं, जिससे उपर्युक्त अधिकारी राज्य सरकारों के ताथ करना व्यर्थ हो गया है। अतः, केंद्रीय सरकार को यह विषय राज्य सरकारों के ताथ करना अवश्यिता के अधीन अपराधों के बीच विचारण के लिए अधिनियम के अधीन पदार्थ विनियोग के अधीन अधिनियम के अधीन अपराधों के बीच विचारण के लिए अधिकारी प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा यह याद रखा ये विशेष व्यायालय गठित किए जाएं। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा यह याद रखा ये विशेष व्यायालय का प्रशासन प्रत्येक राज्य सरकार का प्रशासन व्यायालयों का गठन वित्तीय और संसद् द्वारा पारित अधिनियमों में उल्लिखित विशेष व्यायालयों का प्रशासनिक अङ्गों के कारण गोकरना नहीं चाहिए। राज्य सरकार अपनी वित्तीय या प्रशासनिक अङ्गों के कारण गोकरना नहीं चाहिए। राज्य सरकार अपनी वित्तीय या प्रशासनिक अङ्गों के कारण गोकरने की अपनी अवधिगति का अधिकार करके अधियुक्त के व्यायालय का उपर्युक्त करने के संबंधित व्यायालय से बच नहीं सकता है। राज्य शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक वायदता से बच नहीं सकता है। राज्य शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी विचारण के अधीन होती है और इस प्रयोजन के लिए जो भी आवश्यक है वह विशेष व्यायालय का प्रयोजन होता है। अतः, देश के प्रत्येक राज्य में विना विलंब किए विशेष व्यायालयों की भागीदारी अधिसूचना द्वारा, इस निम्नलिखित विनियोग किया जाए, वहाँ कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा;

अंतिम:—

"प्रत्येक वैसे ही अधिनियम के अधीन लंबित मामलों की संख्या 150 से अधिक होती है वैसे ही सरकार द्वारा कम से कम एक विशेष व्यायालय गठित किया जाएगा।"

(ज) अधिनियम में दंड संरचना— स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में इस धारा पर विचार किए जाना कि पाया गया विनियोग के लिए विशेष व्यायालयों की संख्या का विवरण द्वारा और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 की उपद्वारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परत्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा:

ଅନୁଷ୍ଠାନ ୫

आवासपत्र और निवेशात्मक उपकरण: सशक्त अधिकारियों के कर्तव्य

5.1 साधारणतः स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन किसी सामग्री के अन्वेषण और विचारण के पांच प्रक्रम हैं :—

- (क) इतिहास,
 - (ख) अस्त्रयण,
 - (ग) तलाशी, अभियहण और प्रिरक्तारी,
 - (घ) व्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश किया जाना, और
 - (ङ) व्यायालय में मामले का विचारण।

पहला भाष्मला (डूरंड डीडियर ब्राम मुख्य सचिव, गोवा संघ राज्यकाले¹) जो उच्चतम न्यायालय के समझ आया उसमें एक कांसीसी राष्ट्रिक अभियुक्त डूरंड हीडियर को पुलिस द्वारा कोलवा (गोवा) में गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे में 5.1 ग्राम ग्राउन शुगर (हिरोइन), 45 ग्राम गोजा तेल और 5.5 ग्राम अफीम पाई गई थी। अभियुक्त के काउन्सेल ने, यह अभिवाकृतिया था कि अन्वेषण अधिकारी ने जानवरबाज़ीकर उस स्थान के सम्मानीय निवासियों को अपने साथ शामिल नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए, इस अभिवाकृति द्वारा अस्वीकार किया कि जहाँ अभियुक्त से अधिकारी में विनिषिद्ध औषधियों की तलाशी और अभिग्रहण का साक्षी उस परिस्थित के निवासी थे जिसमें

पुलिस चौकी स्थित थी और इन पंच साक्षियों की प्रतिधरीका में कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे कि उनकी साक्षय पर अविवात किया जा सके तो यह तथ्य कि साक्षी अभिग्रहण स्थान के निकट रहने वाले नहीं थे, सारहीन है और यह अभिवाक की तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित कानूनी सुरक्षापायों का उल्लंघन हुआ था, असमर्थनीय था। अभियुक्त के कारन्सेल के दूसरे अभिवाक पर कि अभियुक्त के कब्जे में निजी उपभोग के लिए अल्प मात्रा में पाया गया था। सीरिस्स न्यायालय द्वारा यह अधिनिर्धारित किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट के कब्जे से अभिगृहीत पदार्थ अल्पमात्रा में अभिनिर्धारित नहीं किए जा सकते, जिससे कि वह उसे अधिनियम की धारा 27(1) की रिटिट के अंतर्गत इस धारा के साफ्टीकरण 1 और उसके अधीन अधिसचना को ह्यान में रखते हुए, नाया जा सके।

5. 3 स्वापक औषधि और मत्तुप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन जनान्त संवेदी उचितों का निवारण—अधिनियम के अधीन अपराधों को करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों की जनान्त मंजूर करने के प्रश्न पर, उच्चतम न्यायालय ने, स्वापक नियंत्रण व्यूरो बनाने विषय साल और अन्य¹ के मामले में विधि की निम्नलिखित प्रतिपादनाएं अधिकृत की हैं :—

“स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 एक सर्वोपरि खंड से यह कथन करते हुए आरंभ होती है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी वास के होते हुए भी, उसमें विहित किसी अध्यारथ का अभियुक्त व्यक्ति तब तक जमानत पर निर्भुवत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें अंतिष्ठि शर्तों का समाधान नहीं हो जाता है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम एक विशेष अधिनियमिति है और यह स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियन्त्रण और विनियमन के लिए कठोर उपबंध बनाते की दृष्टि से, अधिनियमित किया गया था। ऐसा अंतर्निहित उद्देश्य होने पर और विशेष रूप से तब जब कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के उपबंध तकारात्मक शब्दों में, जमानत की बाबत दंड प्रक्रिया संहिता के लागू होने का क्षेत्र सीमित करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन उच्च न्यायालय की जमानत मंजूर करने की शक्तियाँ, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के अधीन उल्लिखित परिसीमाओं के अधीन नहीं हैं”।

रजनीकांत जीवनलाल पटेल और अन्य बनाम आसूचना अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्युरो, नई दिल्ली^१ के भासले में, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए अभियुक्त, मजिस्ट्रेट हारा डंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन 90 दिन के भीतर चालान पेश करने में अभियोजन की असफलता पर जमानत पर छोड़ दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के अद्वितीय को मान्य ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा “धारा 167(2) के परंतुक (क) के अधीन जमानत पर निर्मुक्ति के लिए आदेश समुचित रूप से व्यक्तिक्रम पर आदेश कहा जा सकता है। बस्तुतः, यह अभियोजन के विहित अवधि के भीतर अतीप पद फाइल करने में व्यक्तिक्रम पर जमानत पर निर्मुक्ति है। उसकी धारा 167(2) के परंतुक (क) के अधीन जमानत का अधिकार आत्मतंत्रिक है। यह विधायी आदेश है न्यायालय का विवेक नहीं। यदि अन्येषक अभिकरण, वथास्थिति, 90/60 दिन की समाप्ति के पूर्व आरोपपत्र फाइल करने में असफल रहता है तो अभिरक्षा में अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर निर्मुक्ति किया जाना चाहिए किन्तु उस प्रक्रम पर भासले के गुणाग्रण की जानी है, बिल्कुल नहीं है। बास्तव में, मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति का 90/60 दिन की नियत अवधि के परे, रिमांड देने की शक्ति नहीं है, उसे जमानत का आदेश फाइल करना चाहिए और उस आदेश को अभियुक्त को संसूचित कर देना चाहिए ताकि वह अधिकारी जमानत बंधकाद दे सके।

इसलिए, अभियुक्त जमानत पर बने रहने के किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यदि अव्येषण से पता चलता है कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध किया है और आरोपण काइला किया जाता है तो धारा 167(2) के प्रत्यक्ष (क) के अधीन मंजूर की गई जमानत रद्द की जा सकती ।”

ए. आई. आर. 1989 पृष्ठ. सी. 1996

26

5. 4 अभियुक्त के उन्मोचन के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पिरवी चन्द्र और अन्य¹ के मामले में निम्नलिखित सिद्धांत अधिकारित किए हैं :—

‘विधि के अतिक्रम में तलाशी में संगृहीत साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम के अधीन साक्ष्य में अद्वाह्य नहीं हो जाता है, परिणाम यह होता कि प्रकटित साक्ष्य अधिनियम के अधीन विनियिह पदार्थ के अवैध कलजे को साक्षित करना होता। पंचनामा में यह पाया गया है कि संदिग्ध/अभियुक्त की कहाँसे जोई विनियिह अभियुक्त किया गया है। यद्यपि, तलाशी अवैध हो सकती है किन्तु संगृहीत साक्ष्य, अवैध, पंचनामा आदि जिस पर भी विचारण में अनुशेष्य होगे। आरोपक फाइल करने के प्रक्रम पर यह नहीं कहा जा सकता कि साक्ष्य नहीं है और मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश इस आधार पर अभियुक्त को उन्मोचित करने में अवैध कार्य करेगा कि धारा 50 या अन्य उपबंध पूरे नहीं किए गए हैं। विचारण के सबूत अधियोजन को यह साक्षित करने का अवसर उपलब्ध होता कि तलाशी विधि के अतिक्रम में हुई पाई जाती है तो संगृहीत साक्ष्य को क्या अहृत्व दिया जाना चाहिए, यह एक और प्रश्न है जिस पर विचार करना होता। इन परिस्थितियों के अधीन विद्वान् सेशन न्यायाधीश अभियुक्त को आरोपक फाइल करने के पश्चात् यह अधिनियमीरत करते हुए उन्मोचित करने में युक्तियुक्त नहीं था कि धारा 50 की आज्ञापक अपेक्षाएँ पूरी नहीं की गई थीं।’

प्राप्त कुछ प्रत्युत्तरों में और कार्यशालाओं में विचार-विवरण के दौरान भी इस और संकेत किया गया था कि उक्त निर्णय, विशेष रूप से उसके पैरा 3 के साधारण घटन से धारा 50 की उन्मोचिता के बारे में यह आशका पैदा होगी कि क्या उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकारित किया था कि धारा 50 के उपबंध किसी स्थान की तलाशी को भी लागू होगे। यह कहा जा सकता है कि यह स्थान की तलाशी का मानला था और किसी व्यक्ति की तलाशी का नहीं। इसलिए धारा 50 के उपबंध लागू नहीं होते। यह धारा संवेद स्पष्ट करती है कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध के बल सिसी व्यक्ति की तलाशी को लागू होगे। निर्णय में यद्यतत्र धारा 50 के प्रति निर्देश सेशन न्यायालय द्वारा प्रांरम्भिक प्रक्रम पर अभियुक्त के उन्मोचन के विषय में था। तथापि, यह ऐसा महसूस करते हैं कि उच्चतम न्यायालय इस स्थिति को धारा 50 की उन्मोचिता के संदर्भ में “स्थान की तलाशी” और “व्यक्ति की तलाशी” के बीच पैरामीटरों का सीमांकन करके स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट कर सकता कि यह केवल “व्यक्ति की तलाशी” को लागू होता है और “स्थान की तलाशी” को लागू नहीं होता ताकि विधि, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट की जासके।

5. 5 पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह² के मामले में उच्च न्यायालय ने, अन्वेषक अधिकारी द्वारा उठाए गए कहमों की जांच करते समय, इस प्रश्न पर भी विचार किया कि कौन से आज्ञापक हैं और कौन से निदेशात्मक हैं तथा इस प्रकार निश्चय किया :—

“(1) यदि कोई पुलिस अधिकारी, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा-अनुद्यात किसी पूर्व इतिला के बिना किसी अपराध या संदिग्ध अपराधों के अन्वेषण के सामान्य क्रम में दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन यथा-उपबंधित किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है और जब ऐसी तलाशी पूरी हो जाती है तो उस प्रक्रम पर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी और उसके अधीन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रश्न नहीं उठेगा। यदि ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी के दौरान किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की अवानक बरामदगी होती है तो वह उस पुलिस अधिकारी को, जो सशक्त नहीं है, सशक्त अधिकारी को इतिला देनी चाहिए जिसके पश्चात् स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। यदि वह सशक्त अधिकारी भी है तो उस प्रक्रम से आगे उसे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार, अन्वेषण करना चाहिए।

1. 1996 (1) मान 48।

2. 1994 (1) अपराध 753।

(2a) धारा 41 (1) के अधीन केवल सशक्त मजिस्ट्रेट अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन दृढ़नीय अपराधों की बाबत गिरफ्तारी या तलाशी के लिए तब वारंट जारी कर सकता है जब उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि ऐसे अपराध किए गए हैं या ऐसे वदार्थ किसी भवन, वाहन या स्थान में रखे था छिपाए गए हैं। जब गिरफ्तारी या तलाशी के लिए ऐसा वारंट उस मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है जो सशक्त नहीं है तब ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी, यदि की जाती है तो अवैध होगी।

इसी प्रकार, केवल सशक्त अधिकारी अथवा धारा 41 (2) और 42 (1) में यथा प्रवराणित सम्बन्ध प्राधिकृत अधिकारी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य कर सकते हैं। यदि ऐसी गिरफ्तारी या तलाशी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन, ऐसे अधिकारियों से जिन किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है तो वह अवैध होगी।

(2b) धारा 41 (2) के अधीन केवल सशक्त अधिकारी ही उसमें यथा उल्लिखित किसी अवैधता गिरफ्तारी या तलाशी के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकार दे सकता है। यदि इसमें उल्लंघन होता है तो वह अधियोजन के नाम से पर, प्रधान डालेगा और दोषसिद्ध दूषित हो जाएगी।

(2c) धारा 42 (1) के अधीन पर्दि सशक्त अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व इतिला मिली है जो अनिवार्यतः विवित रूप में दी जानी चाहिए, किन्तु जिनी जान से पर्दि उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि अध्याय 4 के अधीन अद्यावधि किए गए हैं या वह सामग्री, जो ऐसे अपराध के लिए जाने का साक्ष्य दे सकती है, किसी भवन, आदि में छिपाई गई है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है या तलाशी ले सकता है और यह उपबंध यह आज्ञापक नहीं बनाता है कि उसे अपने विश्वास के कारण अधिलिखित करना चाहिए; परन्तु धारा 42 (1) के परन्तुके के अधीन, यदि ऐसे अधिकारी को सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसी तलाशी लेनी है तो उसे अपने विश्वास के आधार अधिलिखित करने होंगे।

इस सीमा तक यह उपबंध आज्ञापक है और वे उनका उल्लंघन अधियोजन के अधिकारों को प्रभावित करेगा और विचारण दूषित हो जाएगा।

(3) धारा 42 (2) के अधीन ऐसे सशक्त अधिकारी को, जो इतिला लिखित रूप में देता है या धारा 42 (1) के परन्तुके के अधीन आज्ञापक अधिलिखित करता है, उसकी एक प्रति अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी के पास तुरंत भेजनी चाहिए, यदि इस उपबंध का पूर्णतः अनुपालन है तो वह अधियोजन के भास्म से प्रभावित करता है। उस सीमा तक यह आज्ञापक है किन्तु पर्दि विलंब होता है चाहे वह अस्तम्यक हो या उसे स्पष्ट किया गया हो या नहीं, यह प्रत्येक भास्म के तथ्य का प्रक्षिप्त होगा।

(4a) यदि कोई पुलिस अधिकारी, भले ही वह सशक्त अधिकारी हो, विशुद्धतः दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन सामान्य अन्वेषण के दौरान, गिरफ्तारी करते या तलाशी लेते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 और 165 के उपबंधों का, जिसमें कारण अधिलिखित करने की अपेक्षा भी है, पूर्णतः अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता भाल अनिवार्यता के तुल्य होगी।

(4b) यदि कोई सशक्त अधिकारी या अधिनियम की धारा 41 (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी कोई तलाशी लेता है तो वह ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों, अवैत् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 और 165 के अधीन ऐसा कर रहा होगा और यदि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का कठोर अनुपालन नहीं है तो ऐसी गिरफ्तारी सामान्यतः अवैध नहीं होगी और विचारण की दूषित नहीं करेगी।

न्यायालयों द्वारा, प्रत्येक भास्म के तथ्यों और परिस्थितियों में, साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय ऐसी असफलता के प्रभाव को ध्वनि में रखता है।

(5) पूर्व इतिला पर सशक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को, धारा 41(2) या धारा 42 के अधीन कार्य करते समय किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाए इसके पूर्व धारा 50 के उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को यदि वह ऐसी बाला करे तो सूचित किया जाना चाहिए तथा वह किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समझ, उसके अधीन जैसा उपबंधित हो; उपसंजात किया जाएगा। ऐसे अधिकारी के लिए तलाशी लेने वाले को सूचना देना अनिवार्य है। यदि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को सूचना देने में असफलता होती है और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जाने में असफलता धारा 50 के अनुपालन के तुल्य होगी और जो आज्ञापक है और इस प्रकार यह अभियोजन के मामले को प्रभावित करेगा और विचारण दूषित कर देगा। इस प्रकार सूचित किया जाने के पश्चात् ऐसे कार्य के विकल्प देता है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा।

(6) धारा 52 और 57 के उपबंध, जो क्रमशः धारा 41 से 47 तक के अधीन गिरफ्तारी या अभिग्रहण करने के पश्चात् अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित हैं, अपने आप में आज्ञापक नहीं हैं। यदि अननुपालन होता है या यदि उसमें विलंब, आदि जैसी खमियाँ हैं तो उसकी यह देखने के लिए जांच की जानी है कि क्या अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह कारित हुआ है और ऐसी असफलता, गिरफ्तारी या अभिग्रहण की बाबत साक्ष्य के मूल्यांकन और साथ ही मामले के गुणागुण पर प्रभाव डालने वाली होगी।

इस प्रक्रम पर यह उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने बी.० मोहम्मद वशीर बनाम राज्य¹ में यह अवधारित करने में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को गलत समझा है धारा 43 के अधीन की गई तलाशी में धारा 50 आकृष्ट नहीं होती है।

5.6 हमने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि यदि सशक्त अधिकारी का किसी व्यक्ति की तलाशी लेते समय यह अभिमत है कि उस व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट तक ले जाने का परिणाम तलाशी में विलंब होगा और उस व्यक्ति को यह अवसर देना कि विनिष्ठा से अपने को पूर्ण कर सके तो तलाशी उस स्थान के या पार्वत्यस्थ स्थान में दो या अधिक स्वतंत्र या सम्मानित व्यक्तियों के समक्ष ली जा सकती है। तथापि, हमारा यह अभिमत है कि निर्दोष व्यक्तियों के हित के सुरक्षापाय के रूप में, जबकि अधिनियम के अधीन न्यूनतम आज्ञापक दंड विहित है, ऐसा संशोधन दांछनीय नहीं है।

उपर्युक्त विचार-विमर्श से यह स्पष्ट हो जाता है कि सशक्त अधिकारियों की अधिनियम के उपबंधों के अधीन महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करना है। विशेष हृष से, जब कि धारा 42 और 50 आज्ञापक अभिनिर्धारित किए गए हैं। उन उपबंधों की बाबत भी, जो निवेशात्मक कहे गए हैं, वे, हिलाई नहीं बरत सकते। यद्यपि, धारा 42 और धारा 50 के आज्ञापक उपबंध सर्वाधिक महत्व के हैं और सशक्त अधिकारियों द्वारा उनका अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए। प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों और कार्य-शालाओं में व्यक्त अभिमतों में भी यह सुझाव दिया गया है कि व्यावहारिक और सार्थक रीति में प्रभावी रूप से तलाशी लेने के लिए धारा 50 में कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं। हमारा यह अभिमत है कि धारा 50 का संशोधन आवश्यक है।

धारा 50 के अनुपालन को उस प्रकृति का, जिससे अलेक व्यक्ति दोषमुक्त हो जाते हैं, उपर्युक्त संशोधन करने की दृष्टि से, सरकारीपूर्वक जांच की जानी है। धारा 50 में यह अधिकथित है कि सम्बन्ध रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तब वह ऐसे व्यक्ति को, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो बिना अनावश्यक विलंब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा और यदि ऐसी अपेक्षा तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है तो संबद्ध प्राधिकृत अधिकारी उसे तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक उसे ऐसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समझ उपसंजात नहीं कर सकता और उसके पश्चात् तलाशी ली जानी चाहिए। यह अवधारित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को यह दिया गया बहुत मूल्यवान अधिकार है और यद्यपि, धारा में स्पष्ट शब्दों में ऐसा नहीं कहा गया फिर भी उस व्यक्ति को उसके अधिकार

के बारे में बता दिया जाए तथा ऐसे करने में असफलता का परिणाम धारा 50 का अननुपालन है। ऐसे व्यक्ति को सूचना दी गई थी या नहीं यह अभियुक्त द्वारा किए गए भौतिक प्राव्यान अथवा प्रति प्राव्यान पर निर्भर करते हुए, सर्वेव तथ्य का प्रश्न होगा और तलाशी लेने वाले अधिकारी तथा अनुपालन के कारण अनेक दोषमुक्त हुई हैं।

अब किसी के अनुपालन, जिनके परिणामस्वरूप, दोषमुक्तियाँ हुई हैं, जैसा व्यायालयों द्वारा देखा गया है, अत्यधिक तकनीकी प्रकृति के हैं। कुछ भामलों में, अभियुक्त इस आधार पर दोषमुक्त किए गए थे कि अन्यथक अधिकारी द्वारा दी गई सूचना में कैवल "मजिस्ट्रेट" शब्द उल्लिखित था और कुछ भामलों में कैवल "राजपत्रित अधिकारी" तथा कुछ अन्य भामलों में "मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी" उल्लिखित थे। ऐसे भामलों में, अभियुक्त यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्त किए गए थे कि सूचना पूर्ण और अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों के अनुकूल नहीं थी। यद्यपि, व्यायालयों द्वारा ऐसे तकनीकी अभिमत का लिया जाना वादन-विवाद का विषय हो सकता है किंतु सशक्त अधिकारियों की ओर से ऐसी खमियों को रोकने के लिए, जिनका परिणाम इस प्रकार दोषमुक्त है, आयोग अधिनियम की धारा 50 में, धारा 50 के विस्तार की सभी शंकाओं को दूर करने के लिए उपर्युक्त संशोधनों का सुझाव देना आवश्यक भहसूत करता है। प्रश्नावली के उत्तरों में व्यक्त कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए और कार्यशालाओं में किसी व्यक्ति द्वारा विनिष्ठु पदार्थ को फैकने की ओर निकटतम मजिस्ट्रेट और राजपत्रित अधिकारी तक परिवहन के समय उसे रखने की संभावनाओं की बाबत किए गए विचार-विमर्शों से भी हमारा यह अभिमत है कि स्वापक ओपरेशन और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 में निम्नवत संशोधन किए जाएँ।

(क) उपधारा (1) में "ऐसे व्यक्ति को" शब्दों के पश्चात् और "यदि ऐसा व्यक्ति" शब्दों के पूर्व निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:

"सूचित करेगा कि उसे धारा 41 में निर्दिष्ट किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी देने का अधिकार है; और

(ख) उपधारा (1) में "या निकटतम मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएँगे, अर्थात्:

"या अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट निकटतम मजिस्ट्रेट के पास, जैसा कि सशक्त अधिकारी ठीक समझे।"

यह तात्त्विक अनुपालन के तुल्य होगा।

अध्याय ६

निष्कर्ष और सिफारिशें

६. १ स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की खासियाँ

ओषधि व्यापारी मानवता के विहङ्ग गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं और इसलिए स्वापक ओषधि और मन: अभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1989 का अधिनियम सं। 2 द्वारा यथासंशोधित) के अधीन योपरापो दड़ का उपबंध किया गया है। अधिनियम में पूर्व दोषसिद्धि द्वारा विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए मृत्युदण्ड और अवैध व्यापार से उपात्त या उसमें उपयुक्त सामग्री के सम्पर्हण के लिए उपबंध किया गया है। तथापि, इन उपबंधों से भी स्वापक ओषधियों के अवैध व्यापार तथा उसके उपयोग को रोकें और नियन्त्रित करने में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए हैं। अधिनियम के कायदानियम में पाई गई कुछ खामियों का निम्नवत उल्लेख किया जा सकता है:—

(क) स्वायत्क ओषधि और भनप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार और अवैध उपयोग के विरुद्ध नियन्त्रण का अध्याद.

(ख) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अल्पसंख्या के लिए, यदि वह वैयक्तिक उपभोग के लिए नहीं है, तो कठोर दंड;

(ग) कुछ राज्यों द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 में विनिर्दिष्ट निदेशों के बावजूद, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचार के लिए विशेष न्यायालयों का स्थापित न किया जाना;

(v) कैनेबिस के पौधे, कोका के पौधे, अफीम पोस्त की जंगली उपज और ऐसे पौधों की

(इ) तलाशी को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के कार्यान्वयन में कुछ निहित समस्याएं;

(च) अपराधों के अन्वेषण अधिकारीयों में प्राथः केर-बदल, और

(छ) सरकार द्वारा व्यवसनियों की पढ़चान, उपचार, शिक्षा और वश्च देख-रख के लिए केन्द्रों का स्थापित न किया जाना।

२ सिफारिशें

अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों की कार्रवाई से उत्पन्न हुई स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैधानिक व्यापार और उपयोग के विरुद्ध विश्व समुदाय की चिन्ता, इस विषय पर विद्यमान विधि की, ओषधि दुरुपयोगों की विभिन्नता को समाप्त करने में प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रक्रियात्मक और अन्य विधियों पर तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों, विशेष रूप से पंजाब राज्य बनारस लालबीर सिह¹ में हुए निर्णय पर विचार करने के पश्चात् तथा मूल्यवान् सुझाव पर ध्यान देने के पश्चात् इसमें यह समझते हैं कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और संसोधन किया जाना अपेक्षित है।

हम स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में निम्नलिखित संशोधनों की मेलारिश करते हैं, अर्थात् :-

6. 2. 1 अधिनियम की धारा 4 में संशोधन

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के खंड (2) के उपखंड (अ) को तिम्बवत् प्रतिस्थापित किया जाए:-

“(अ) व्यक्तियों की पहचान, उच्चार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वासि, सामाजिक पुनः एकीकरण तथा शिक्षा, प्रचार प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों के माध्यम से, उनके विचार विभाषा को व्यापक प्रभाव देकर और सामाजिक-पत्रों में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित कर ओषधि बुरुपयोग के खतरे के प्रति सामाजिक जागहकता का सजन्।”

अध्याय 4, पैरा 4. 5(क))

6. 2. 2 अधिनियम की धारा 27 में संशोधन

“(3) जहां किसी व्यक्ति के बारे में यह दर्शित किया जाता है कि उसके बाबजे में अत्य-
मात्रा में कोई स्वाधयक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ है और वह यह सावित करने में असफल रहता
है कि वह ऐसे व्यक्ति के वैयक्तिक उपभोग के लिए न कि विक्रय या वितरण के लिए आशयित
था वहां ऐसा व्यक्ति, इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जहां ऐसी स्वापक ओषधि या महाप्रभावी पदार्थ, जो कड़े में रखा गया या उपयोग किया गया है, कोकीन, माँटकीन, डाइएसिटल मारफीन या कोई अन्य स्वापक ओषधि या ऐसा कोई अन्य महाप्रभावी पदार्थ है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, वहां कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुमनि से, या दीनों से, दंडनीय होगा; और

(ख) : जहां ऐसी स्वभाविक ओषधि या मनुष्यभावी प्रदार्थ, जो कठजे में खाया या उपभोग किया गया है, खंड (क) में या उसके अधीन विनिदिष्ट ओषधि या प्रदार्थ सम्भव है, वहां कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकती या जुमनि से, या दोनों से खंडनीय होता ।"

अध्याय ४, पैरा ५(च)

६.३.३ अधिनियम की धारा ३६ में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 36 के खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जैसे ही अधिनियम के अधीन लंबित मामलों की संख्या 150 से अधिक होती है, जैसे ही सरकार द्वारा कम से कम विशेष न्यायालय गठित किया जाएगा।”

अध्याय ४, पैरा ४. ५ (इ))

६.२.४. अधिनियम में वर्णी धारा ४७ का अंतःस्थापन

स्वापक ओषधि और मनुप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बनाते स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"47क. कार्रवाई करने का वन अधिकारी और राजस्व अधिकारी का कर्तव्य—प्रत्येय वन अधिकारी और राजस्व अधिकारी, यथास्थिति, उसकी अधिकारिता के भीतर, जब उसकी जानकारी में किसी प्रकाम पर जाता है या लाया जाता है कि वन भूमि या सरकारी भूमि पर कोका के पौधों, अफोम, पोस्त या कैनेबिस के पौधे की जंगली उपज आती है तो उसको मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रशंस श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से, ताशक्ति किसी

मजिस्ट्रेट को या धारा 42 के अधीन सशक्त राजपत्रित रैक के किसी अधिकारी को तत्काल देशी और ऐसी जानकारी के प्राप्त होने पर, ऐसा समुचित आदेश, जिसमें पौधों को नष्ट करने का आदेश भी है, जो वह ठीक समझी, पारित कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक बन अधिकारी या राजस्व अधिकारी जो जानवृत्त कर ऐसी जानकारी देने में उपेक्षा करता है, दंड का दावी होगा।"

[अध्याय 4, पैरा 4, 5(ब)]

6.2.5 अधिनियम की धारा 50 में संशोधन

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 में,

(क) उपधारा (1) में "ऐसे व्यक्ति को" शब्दों के पश्चात् और "यदि ऐसा व्यक्ति" शब्दों के पूर्व निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"सुचित करेगा कि उसे धारा 41 में निर्दिष्ट किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी देने का अधिकार है," और

(ख) उपधारा (1) में "या निकटतम मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"या अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट निकटतम मजिस्ट्रेट के पास, जैसा कि सशक्त अधिकारी ठीक समझे।"

(अध्याय 5, पैरा 5, 6)

6.2.6 "नियंत्रित परिदान" की बादत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध कन्वेशन, 1988 के अनुच्छेद 11 को प्रभावी बनाने के लिए नई धारा का अंतःस्थापन

पूर्वोत्तम कन्वेशन के अनुच्छेद 11 में अंतर्विष्ट पूर्वोक्त उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का उसके अधीन, पारेषणों की आगे की गति का पता लगाने और व्यक्तियों को, जिनमें पारेषण का परिदान लेने वाला अंतिम व्यक्ति भी है, रोकने, गिरफ्तार करने और अभियोजित करने के लिए एक नई धारा का समावेश का उपमुख रूप से संशोधन किया जाए।

(अध्याय 3, पैरा 3, 7)

6.2.7 अधिनियम में नई धारा 67 का अंतःस्थापन

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"67क. किसी सशक्त अधिकारी हुआ ग्रन्वेण का पूरा किया जावा—प्रत्येक सशक्त अधिकारी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी पामले का निरीक्षण कर रहा है या जो उसके अध्याय 5 के अधीन कोई कार्रवाई करता है, ग्रन्वेण पूरा होने तक उसका भारसाधक होगा जब तक कि परिवर्तन की अपेक्षा करने वाले बाध्यकारी कारण न हों, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह शीघ्र अन्वेषण के लिए विधि के अधीन ऐसे कदम उठाए और अनावश्यक विलंब किए बिना सक्षम व्यापालय को मामला पेश करे।"

[अध्याय 4, पैरा 4, 6(ब)]

6.2.8 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 71 का प्रभावी कार्यान्वयन

हम यह महसूस करते हैं कि सरकार को यह देखने की आवश्यकता है कि गैर-सरकारी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करके और यदि आवश्यक हो तो सरकारी अस्पतालों में एक खंड स्थापित करके धारा 71 में अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।

[अध्याय 4, पैरा 4, 5(ब)]

हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

हस्ता०

(न्यायमूर्ति के ० जयचन्द्र रेही)

अध्यक्ष

हस्ता०

हस्ता०

हस्ता०
(न्यायमूर्ति आर० एल० गुप्ता)

(जी० कृष्णमूर्ति)

(प्र० एलिस जैकब)

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

(आर० एल० भीमा)

हस्ता०

सदस्य-सचिव

उपाखंका १

अ० शा० पत्र सं० ६(३)(३)/९६-एल सी/एल एस

डॉ० एस० सी० श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी

भारत सरकार
विधि और व्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
विधि आयोग
गांधीनी भवन, नई दिल्ली-११०००१.

तारीख : ५-७-१९९६

महोदय,

राष्ट्रीय भूर्त्व के इस विषय पर आपसे अपना सूच्यवान समय देने की जपेका है।

विधि आयोग ने, उच्च न्यायालय के निर्णय और विशेष रूप से, पंजाब राज्य बनाम बलवीर सिंह ए आई आर १९९४ एस सी० १८७२ में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, स्वापक ओषधि और सन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ (१९८५ का अधिनियम सं० १६) के उपबंधों की, अधिनियम की धारा ५० में लाए जाने वाले परिवर्तनों पर जोर सहित, जिन्हे व्यवधान करना आरंभ किया है। ऐसा महसूस किया जाता है कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, आयोग उक्त अधिनियम के कठिनव प्रस्तावित संशोधनों के संवेद में, आयोग द्वारा नैयार की गई प्रणाली पर आपसे अपना सुविचारित अभिमत देने वा अनुरोध करता है।

आपसे अनुरोध है कि इन विषयों पर अपना सूच्यवान अभिमत देने के लिए अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालें और अपनी शीघ्रतम सुविधा के अनुसार, अधिमानतः १४ अगस्त, १९९६ तक अपना अभिमत देने की कृपा करें।

आपसे सहयोग की प्रतीक्षा में,

शादर,

मध्यदीय,

हौ।

(एस० सी० श्रीवास्तव)

संलग्न : यथोपरि।

उपाखंका २

वारस की विधि आयोग

गांधीनी भवन, नई दिल्ली-११०००१

स्वापक ओषधि और सन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ (१९८५ का अधिनियम सं० ६१) के संशोधन से संबंधित प्रश्नावली

अध्याय २

अधिनियम की धारा ५

प्र० १. क्या आप यह समझते हैं कि शिक्षा और प्रचार के माध्यम से तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम और संगोष्ठियाँ ग्रन्थालय करके, जीवधि हुएप्रयोग के खतरों के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए विनियिष्ट उपबंध बनाने की आवश्यकता है?

अध्याय-IV

अधिनियम की धारा १५ और २५

प्र० २. क्या न्यूनतम दंड के विद्यमान शास्त्रिक उपबंधों में कोई संशोधन अपेक्षित है? यदि हो, तो किस सीमा तक।

प्र० ३. क्या अधिनियम के अधीन अधिनियमीत किया जाने वाला दंडादेश विनियिष्ट पदार्थ के अभिश्वरण की मात्रा के अनुसार होना चाहिए?

प्र० ४. क्या अधिनियम की धारा १५ से २५ में उपबंधित न्यूनतम दंडादेश के उपबंधों को लोप करने की आवश्यकता है?

अधिनियम की धारा २७

प्र० ५. क्या आप यह सुझाव देते हैं कि धारा २७ का कायदा, तथ्यों पर विचार किए विना, ऐसे सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनके कड़जे में बल्प्रमाण में ओषधि याई जाए, जो वैयक्तिक उपभोग के लिए आवश्यक थी या नहीं?

अधिनियम की धारा ३६

प्र० ६. क्या राज्य सरकार ने, आपके राज्य में अधिनियम कीधारा ३६ के अर्द्धीन मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीशों के पृथक् न्यायालय सूचित नहीं किए हैं?

प्र० ७. क्या आप समझते हैं कि अधिनियम के अर्द्धीन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए, प्रत्येक राज्य में अधिनियम के अर्द्धीन मामलों के विचारण के लिए, विशेष न्यायाधीशों के पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र न्यायालय स्थापित करने हेतु धारा में उपबंध अंतर्विष्ट किए जाने चाहिए?

अध्याय V

धारा ४७-क

प्र० ८. क्या आप यह आवश्यक समझते हैं कि बन और अन्य सरकारी भूमि पर कैनेक्स और अफीम के पौधों की व्याय उपज की रिपोर्ट के लिए, बन और राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगानी चाहिए और जैसा राज्य सरकार निदेश दे उसको नष्ट करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए?

धारा ५०

प्र० ९. क्या आप इस विचार का समर्थन करते हैं कि अधिनियम की धारा ५० का संशोधन अपेक्षित है?

प्र० 10. क्या आप इससे सहमत हैं कि पंजाब राज्य बनाय बलबीर सिंह ए जाई आर 1934 ईस० सी० 1875 में महत्वपूर्ण निर्णय को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 50 का निम्नलिखित समुचित संशोधन करके पुनःप्राप्तिकरण किया जाना चाहिए ?—

"50-वे शते जिनके अधीन अधिकारीयों की तलाशी ली जाएगी :—

(1) जब धारा 42 के अधीन पृथक् रूप से प्राविहृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, (ऐसे व्यक्ति को सूचित करेगा कि उसे धारा 41 में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का अधिकार है) ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, विना आवश्यक विलंब के किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाएगा (या जैसा सशक्त अधिकारी ठीक समझे, धारा 41 में निर्दिष्ट निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा) :

परन्तु यह कि केवल उपचार ऐसे व्यक्ति को दो जाने वाली सूचना का प्ररूप, उसे यह सूचित करते हुए विनियोग कर सकेगी कि उसे इस उपचार के प्रयोजन के लिए राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का अधिकार है।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निश्च रख सकेगा जब तक कि वह उसे उपचारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता; (या, यदि सशक्त अधिकारी, लिखित में अधिनियम किए जाने वाले कारणों के लिए ऊपर निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को स्थल पर बुलाना आवश्यक समझता है तो वह ऐसे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और यह, व्यास्थित, ऐसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वे विना किसी विलंब के स्थल पर पहुँचे)।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट (या जिसकी सेवाओं की अपेक्षा की जाई है) जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए उचित आधार नहीं पाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा वह निरेग देगा कि तलाशी ली जाए।

(3क) उसकी तलाशी, व्यास्थिति, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तब ली जाएगी जब दो स्वतंत्र साधी, यदि उपलब्ध हों, सहयुक्त हों और दो नमूने लिए जाएंगे तथा नमूनों और बरामद वस्तुओं को सीलबंद करने के पश्चात् उसके साथ सीलबंद को बिना किसी क्षति के रखा जाएगा; तथा नमूने बरामद वस्तुएं और उपयोग किए गए सील के नमूने सशक्त अधिकारी को सौंपे जाएंगे।

(4) किसी स्त्री की तलाशी स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।"

प्र० 11. क्या सशक्त अधिकारी को वह विर्बकाधिकार दिए जाने चाहिए कि यदि, लिखित में अधिनियम किए जाने वाले कारणों के लिए, उसकी यह राय है कि निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा व्यक्ति की तलाशी ली जानी व्यवहार्य नहीं है; या मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती तो सशक्त अधिकारी दो स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में स्वयं तलाशी कर सके ?

धारा 30क

प्र० 12. क्या आप इससे सहमत हैं कि पर्यवेक्षण के अधीन परेषण को खोज निकालने और पकड़ने तथा सभी अपराधियों की, जिसमें गंतव्य स्थान पर अवैध औपधियों या पदार्थों के परेषण के परिदान को लेने वाले व्यक्ति भी हैं, पकड़ने, गिरफ्तार करने और उनको अभियोजित करने के लिए कठिपथ अधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिदान प्रणाली के उपयोग के लिए नई धारा बनाया जानी चाहिए ?

धारा 67क

प्र० 13. आप इस सुझाव से सहमत हैं कि सशक्त अधिकारी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामले की जांच अरंभ करता है, तब तक मामले का भारसाधक होना जब तक यथासंभव जांच पूरी नहीं हो जाती है ?

धारा-VI

धारा 71

प्र० 14. क्या राज्य सरकार ने, आपके राज्य में व्यसनियों की पहचान और उपचार के लिए पर्याप्त केन्द्रों की स्थापना नहीं की है ?

प्र० 15. आप इससे सहमत हैं कि अधिनियम में समुचित संशोधन द्वारा इसे आजापक बनाया जाना चाहिए जिससे व्यसनियों की पहचान और उपचार के लिए देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए ?

साधारण

कोई अन्य सुझाव

प्र० 16. आप अधिनियम में किसी अन्य संशोधन का सुझाव देना चाहते हैं ? यदि हां, तो अपना बहुमतवाला सुझाव दें।

विधि आयोग धारा जारी की गई प्रश्नतब्ली पर प्राप्त टीका-विवेचनी

विधि आयोग ने, विभिन्न आयोग से राय को प्रकाश में लाने के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के कठिनय संशोधनों के बारे में एक प्रश्नतब्ली (उपांच 1) परिचालित की थी। उक्त प्रश्नतब्ली में, विधि आयोग ने, विषय के विभिन्न पहलुओं पर सौलह प्रश्न बनाए।

प्रश्नतब्ली सौलह उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों, विधिज संगमों, 25 राज्यों और संघ राज्यसंघों के गृह सचिवों, 28 पुलिस अधिकारियों और पांच राज्य विधि आयोग के अध्यक्षों को भेजी गई थी। जवाब केवल उच्च न्यायालयों के सात न्यायाधीशों/रजिस्ट्रार, तीन अधिकारियों/अधिकारियों तथा सत्ताइस पुलिस अधिकारियों और अन्य निम्नलिखित अधिकारियों से प्राप्त हुआ था।

प्र० नं० 1—विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों, रजिस्ट्रारों, दो अधिकारियों, इक्कोस पुलिस अधिकारियों और एक जिहान ने सकारात्मक उत्तर दिया है। तथापि, उपविधि सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भास्त सरकार की यह राय है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 4 का उपबंड (इ) प्रयोगन की तात्परीक करता है। अबर पुलिस महानिदेशक (अपराध) पंजाब अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन विद्यमान उपवंशों को रखे रहने के पश्च में है। एन०सी०बी मुम्बई की यह राय है कि प्रश्न 1 में अन्तर्विष्ट मुद्दा धारा 4 में रखना चाहिए। तथापि, उन्होंने यह महसूस किया है कि एक ऐसा विनियिष्ट उपबंश किया जाना आवश्यक है जिससे राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे लक्ष्य समूहों के मध्य औषधि हुए प्रयोग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और उन्होंने गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को भी आमेलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस उपायुक्त, स्वापक और अपराध निवारण, दिल्ली का यह मत है कि अधिनियम की धारा 4 में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है।

प्र० नं० 2—न्यूनतम दंड का उपबंध करने वाले विद्यमान दांडिक उपवंशों में संशोधन के लिए सुझाव के बारे में 4 न्यायाधीश, जो अधिकारी और दस पुलिस अधिकारी सुझाव से सहमत हुए हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सभी कारावास, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुमानी, जो 50 हजार रुपए से कम का नहीं होगा, का उपबंध किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया है कि न्यूनतम दंड बटाकर 7 वर्ष कर दिया जाए और उसके पश्चात् दंड, जब की गई मात्रा के अनुपात में 20 वर्ष तक का होना चाहिए। तथापि, पुलिस महानिदेशक, लिपुरा ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम दंड में जब की गई औषधि की मात्रा, अपराधों और अपराधियों की प्रकृति, आदि को ध्यान में रखते हुए, घट-घड होनी चाहिए। तथापि, अन्य व्यक्तियों ने या तो नकारात्मक उत्तर भेजे हैं या वे विद्यमान दांडिक उपवंशों से संतुष्ट हैं। अपर पुलिस महानिदेशक (स्वापक खंड) भोपाल का यह मत है कि धारा 15 से 20 तक कोई संशोधन आवश्यक नहीं है किन्तु धारा 21 से 25 तक का संशोधन दंड को आजीवन कारावास तक बढ़ाने तथा पञ्चात्वर्ती अपराधों के लिए संपत्ति की अधिहरण तक किया जाना चाहिए। फिर भी, अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) पंजाब ने, जुमानी की रकम 1 लाख रुपए से बटाकर 50 हजार रुपए करने का सुझाव दिया है। उच्च न्यायालय, मुम्बई के एक न्यायाधीश ने सुझाव दिया है कि अभियुक्त के पूर्ववृत्त विनियिष्ट की मात्रा, आदि पर निर्भर करते हुए, ऐसे विशेष कारणों से जो अधिलिखित किए जाएं, कम दंड देने के लिए न्यायालय को विवेकाधिकार दिया जाए, दो पुलिस अधिकारियों ने नकारात्मक उत्तर दिया है। एक शिक्षासास्त्री के अनुसार, अधिकारी दंड, आजीवन कारावास का होना चाहिए किन्तु न्यूनतम दंड न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

प्र० नं० 3—उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार, एक अधिकारी, तेरह पुलिस अधिकारियों और एक शिक्षाविद् ने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है। जब कि शेष व्यक्ति इस सुझाव से सहमत हुए हैं कि विनियिष्ट की जब्ती की मात्रा के अनुपात में दंड अधिरोपित किया जाए।

प्र० नं० 4—प्राप्त अधिकांश प्रत्युत्तर नकारात्मक हैं। किन्तु उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, दो पुलिस अधिकारी और एक शिक्षाविद् ने सकारात्मक उत्तर दिया है। और, भास्तीय न्यायाधीश ने यह

कहा है कि ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें स्वापक कर्षण व्यापार में लगे वडे मालिकों ने बूढ़े पुरुषों और भृहिलालों विवाहाओं, अन्यव्य बालकों जाली भृहिलालों, विकलांग व्यक्तियों और बालकों का, उनकी निर्वनता तथा अन्य कमजोरियों का शोषण करके, उपयोग करना अरंभ कर दिया है। ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार या अध्यारोपित नहीं हो पाते। तथापि, वडे मालिकों द्वारा अन्नाई जा रही ऐसी व्यवस्था के कारण अनुविधायक व्यक्तियों को कठीर दंड भी नहीं पड़ते हैं। न्यायालय के पास ऐसे व्युत्पन्न व्यक्तियों के साथ, उन्हें दंड देने के सभी कोई विवेकाधिकार नहीं होता है। उनके अनुसार, यह न्याय की हत्या है। अब, उन्होंने यह सुझाव दिया है कि जहां तक दंड का संबंध है “जो दंड हो सकते” शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्र० नं० 5—बीस पुलिस अधिकारियों और एक शिक्षाविद् ने, इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है। भद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के अनुसार, फायदा सभी को दिया जाना चाहिए व्यक्ति यह संबंधित करना कठिन है कि औषधि वैयक्तिक उपयोग के लिए आवश्यक नहीं थी। पुलिस महानिदेशक जम्मू-कश्मीर के अनुसार अधिनियम की धारा 27 के उपबंध के बल उन्हीं व्यक्तियों की लागू होते हैं जिनके पास वैयक्तिक उपयोग के लिए औषधि की अल्पभावा अवैध रूप से है और औषधियों की अल्पभावा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई है। तथापि, एक अधिकारी के अनुसार, यह धारा 27 के अनुसार अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन विद्यमान उपवंशों को रखे रहने के पश्च में है। एन०सी०बी मुम्बई की यह राय है कि प्रश्न 1 में अन्तर्विष्ट मुद्दा धारा 4 में रखना चाहिए। तथापि, उन्होंने यह महसूस किया है कि एक ऐसा विनियिष्ट उपबंश किया जाना आवश्यक है जिससे राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे लक्ष्य समूहों के मध्य औषधि हुए प्रयोग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस उपायुक्त, स्वापक और अपराध निवारण, दिल्ली का यह मत है कि अधिनियम की धारा 4 में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है।

प्र० नं० 6—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 के अधीन विशेष न्यायालय असी तक उड़ीसा में सुजित नहीं किए गए हैं, श्री वी० पाठे यह महसूस करते हैं कि इस सभी मामलों की अल्प संख्या को देखते हुए, ऐसे न्यायालयों की आवश्यकता नहीं है।

भद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री और दो अधिकारियों से यह कहते हुए उत्तर दिया है कि उक्त अधिनियम के अधीन तमिलनाडु में विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं। तथापि, आवश्यक बहुत विशेष न्यायालयों को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त की गई हैं।

जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक सेशन न्यायाधीश को, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन मामलों के विचारण की शक्ति निहित की गई है। तथापि, विशेष न्यायाधीशों के पृथक् न्यायालयों का सृजन नहीं किया गया है।

इसी प्रकार केरल में, प्रत्येक जिले के मुख्य सेशन न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश के न्यायालय की शक्ति निहित की गई है।

मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ द्वारा प्रकीर्ण दांडिक मामला संख्या 2901/94 में पारित 14-11-94 के आदेश में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था और अब 9 विशेष न्यायालयों के गठन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

गोवा और लिपुरा राज्य सरकार ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ न्यायालयों का सृजन कर लिया है और उसके लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त हो गया है।

बंडीगढ़ प्रशासन ने पृथक् न्यायालयों के सूचन के लिए उच्च न्यायालय को भागला भेजा है किन्तु पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने, इस अधिकार पर विशेष न्यायालय का सूचन करने से इनकार कर दिया कि मामलों की संख्या कम है।

नगालैंड राज्य में विशेष न्यायाधीशों के पृथक् न्यायालयों का सूचन नहीं किया गया है। तथापि, भेजन न्यायालयों को इस प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायालय के रूप में घोषित किया गया है।

सिक्खिस के महानिदेशक पुलिस ने, विधि आयोग द्वारा पृष्ठे गए प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है।

पांडिचेरी संघ राज्यकेन्द्र में स्वापक ओषधि और भनप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 के अधीन भागलों के विचारण का संचालन करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।

कर्नाटक में राज्य सरकार ने अभी तक अधिनियम के अधीन पृथक् न्यायालयों का सूचन नहीं किया है।

मणिपुर में सरकार ने स्वापक ओषधि और भनप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश का एक न्यायालय स्थापित किया है। तथापि, पुलिस महानिदेशक का यह भूत है कि अधिनियम के अधीन लंबित भागलों की विचारण संख्या की शीघ्र निपटाने के लिए कम से कम एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य में, विशेष न्यायालय गठित हो गए हैं।

राजस्थान राज्य ने, राजस्थान विचारण के लिए पृथक् न्यायालयों का सूचन किया है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिनियम की धारा 36 के अधीन कोई विशेष न्यायालय गठित नहीं किए गए हैं।

गुजरात राज्य में ऐसे मामलों के विचारण के लिए, अन्तर सेशन न्यायाधीशों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है।

असम राज्य सरकार ने, अभी तक अधिनियम की धारा 36 के अधीन मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीशों के पृथक् मामलों का चयन किया गया है।

दिल्ली में विशेष न्यायालय पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

प्र० सं० 7—अधिकांश उत्तर सकारात्मक है। एक अधिवक्ता का विचार है कि विशेष न्यायालय भागलों को निपटाने का असफल प्रयास है। अधीक्षक सीई पंजाबी, अधीक्षक सीई उत्तरी गोवा ने नकारात्मक उत्तर दिया है।

प्र० सं० 8—अधिकांश न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने, सकारात्मक उत्तर दिया है। अपर विशेष लोक अभियोजक उच्च न्यायालय, भद्रास और अपर महानिदेशक पुलिस (अपराध) पंजाब का यह विचार है कि स्वापक ओषधि और भनप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 47 “सरकार का प्रत्येक अधिकारी” शब्दों से आरंभ होती है जिसमें बन और राजस्व अधिकारी भी सहजतः शामिल है। अतः, एक पृथक् धारा 47क बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्र० सं० 9—अधिकांश न्यायाधीश/अधिकारी/अधिवक्ता, विधि आयोग के प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं। तथापि, प्रस्ताव को उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों का अनुमोदन नहीं मिल पाया है। उनका यह भूत है कि उत्तर उपर्युक्त के हितों की रक्षा करते हैं। उच्च न्यायालय भद्रास के लोक अभियोजक पी०एन० प्रकाश ने, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अनेक तिर्णय निविष्ट किए हैं। जैसे, ए.आई.आर. 1958 एस सी 411, 1994 6 ए सी सी 569 अलमुस्तका बनाम केरल राज्य, 1995 (1) काइम्स 77। अमरजीत सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, पंजाब बनाम जसवीर सिंह 1996 (1) एस सी सी 288, पंजाब राज्य बनाम बलवीर सिंह (1995 3 ए सीसी 610), संघर्ष मौस्मिक बनाम गुजरात राज्य (1195 क्लिमिनेंस

ज० 2662), रवूबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1996 (1) अपराध पृष्ठ 53 एस सी) आदि। उनकी यह राय है कि धारा 50 को इस प्रकार पढ़ना चाहिए “जब धारा 41 (2) में उल्लिखित राजविवित रैक के अधिकारी से भिन्न धारा 42 के अधीन संघक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, पूर्व इतिहा पर। अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) पंजाब ने सुनाव दिया है कि धारा 50 की उपधारा (1) में “अराजपत्रित” शब्द अंत स्थापित किए जाने चाहिए। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला व्यक्ति एक राजविवित अधिकारी है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि तलाशी लिए जाने वाले अवित को किसी अन्य राजविवित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समझ ले जाए। पुलिस महानिदेशक, बंगलौर तथा आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और सीमांशुल्क, राजकोट ने नकारात्मक उत्तर दिया है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने निम्नवल् एक संशोधन करने का सुनाव दिया है।

“इस बताते होते हुए कि स्वापक ओषधि और भनप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अध्याय 5 (धारा 41 से 68 तक) अनुसारण नहीं किया जाता है इसके द्वारा यह ओषधान की जाती है और स्पष्ट किया जाता है कि विचारण दूषित नहीं है। प्रक्रिया का ऐसा अनुपालन, अन्वेषक अधिकारी के साथ का मूल्यांकन करते साथ विचार में लिया जाएगा। उक्त प्रक्रिया, अन्वेषक अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए निदेशालंक प्रबुति की ओषधि की जाती है।”

प्र० सं० 10—26 न्यायाधीश, अधिकारी और अधिवक्ता उपयुक्त संशोधन समाविष्ट करते हुए, अधिनियम की धारा 50 का पुनः प्राप्तवा करने के लिए, विधि आयोग के प्रस्ताव से सहमत हुए हैं; और एक वकील यह महसूस करता है कि यदि एक विशेषाधिकार दिया गया है तो उसका लेखों द्वारा अधिक्याग की ओषधि जाए। उसका कहना है कि यदि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तत्काल मजिस्ट्रेट के समझ ले जाया जा सकता है और अधिग्रहण केवल उसके समझ या प्रतिप्रेषण के समय ही किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट का यह समाधान होना चाहिए कि क्या विशेषाधिकार का पालन किया गया था वा उसका भग्यकृत अधिक्याग किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर के एक न्यायाधीश ने सुनाव दिया है कि यदि अल्टतोगत्वा कोई संशोधन अस्तित्व में लाया जाता है तो यह धारा 1 में उपबन्धित किया जाना चाहिए कि राजपत्रित अधिकारी को छापादल का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक अन्य न्यायाधीश को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ के 28-4-96 की विनिश्चित प्रकीर्ण दोषिक भागलों सं० 2760/50 की निर्दिष्ट करने के पश्चात्, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के बारे में, विशेष उपबन्ध करने के लिए कोई औचित्य नहीं मिला है। उसका यह विचार है कि यदि धारा 50 जिस रूप में है, उसी में बनी रहती है तो इसे आपादक होने के बजाए निर्देशालंक बनाया जाना चाहिए और दुर्ग्रहण या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के अनुसार, न्याय की असकलता पर अभियाक् अनुज्ञा होना चाहिए। आयुक्त के० उ० और स० प्र० ने, नकारात्मक उत्तर दिया है। अधीक्षक के० उ० पंजी ने सुनाव दिया है कि राजपत्रित अधिकारी मजिस्ट्रेट उसी विन्तु पर तलाशी का वादी भाग होगा।

प्र० सं० 11—अधिकांश उत्तर सकारात्मक है कि निम्न उत्तर से कुछ ने, इसे नकारात्मक रूप में व्यक्त किया है क्योंकि उनके अनुसार विवेकाधिकार का दुलपयोग ही सकता है।

प्र० सं० 12—ग्राम उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के सिवाए सभी व्यक्ति एक नई धारा के अन्त स्थापन के लिये प्रस्ताव के लिए सहमत ही गए हैं।

प्र० सं० 13—29 व्यक्तियों ने सकारात्मक उत्तर दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सुनाव दिया है कि कानूनी व्यवधि के भीतर आयोग पहल पेश करने में दूषि होने की दशा में, भारतीय अधिकारी को कार्यवाही का दावी होना चाहिए। उनमें से ४ यह महसूस करते हैं कि सुनाव व्यावहारिक नहीं है और यदि कार्यान्वित किए गए तो प्रधासनिक कठिनाइयां हो सकती हैं। तथापि, अपर विशेष लोक अभियोजक, भद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहा कि ४२ स्वापक नियन्त्रण व्यूरो/सी० शू० डी० आर० आई० जैसे अधिकरणों के कार्यकरण पर प्रभाव डालेगा। क्योंकि वे पुलिस अधिकारी नहीं हैं और वे सभी दोनों से सामग्री एकत्र करते हैं और उसे एक शिकायत के साथ पेश करते हैं। वे आयोग-पहल फाइल नहीं करते हैं इसलिए कानूनी संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। अपर महानिदेशक (अपराध) विवाद इस प्रश्न में अन्तर्विष्ट सुनावों से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ऐसा किसी कार्यवालक/प्रधासनिक आदेश द्वारा किया जा सकता है, अधीक्षक के० उ० शू० उत्तरी गोवा ने, नकारात्मक उत्तर दिया है।

प्र० सं० 14—मंत्रालय न्यायालय की रजिस्टरी और अपर विशेष लोक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी ने सकारात्मक उत्तर दिया है। राज्य सरकार ने, राज्य की राजधानी में व्यसनियों की पहचान और उपचार के लिये केन्द्रों का सुरक्षा और वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, अन्य स्थानों पर और केन्द्र सुरक्षा किए जाएंगे।

पुलिस महानिदेशक जम्मू और कश्मीर ने भी सकारात्मक उत्तर दिया है।

केरल और मध्य प्रदेश राज्यों ने भी प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया है।

पुलिस अधीकार ए० एन० ए० सी० पराजी, शोवा ने संकेत किया है कि राज्य सरकार ने, भीड़ राज्य में व्यसनियों की पहचान और उनके उपचार के लिए सकारात्मक उत्तर दिया है।

पुलिस महानिदेशक, मध्य राज्यव्यवस्था बड़ीगढ़ ने सुनिचित किया है कि व्यसनियों की पहचान और उनके उपचार के लिए राज्य सरकार ने अभी तक पर्याप्त केन्द्र स्थापित नहीं किए हैं।

पुलिस अधीकार (स्वापक) कोहिमा का पह विचार है कि तात्पर्यमें नगण्य केन्द्र है जो विलक्षण पर्याप्त नहीं है।

पांडिचेरी, भगिनीपुर और सिक्किम संघ राज्यव्यवस्थों द्वारा व्यसनियों की पहचान और उनके उपचार के लिये कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य ने, व्यसनियों के निर्णीव विशेषकरण और पुनर्वाप्ति के लिए केन्द्र स्थापित किए हैं। महाराष्ट्र राज्य ने, व्यसनियों के निर्णीव विशेषकरण और पुनर्वाप्ति के लिए केन्द्र स्थापित किए हैं।

राज्य सरकार ने, राजस्थान में पुनर्वाप्ति केन्द्र स्थापित किए हैं। तथापि, आयुक्त सी एच सी ई जयपुर के अनुसार, ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकार द्वारा संस्थापित व्यसनियों की पहचान/समर्पण के लिये केन्द्रों की संख्या, जोन निदेशक, एन सी सी वाराणसी के अनुसार, नगण्य है।

बड़ेदिला में, गुजरात सरकार द्वारा संचालित ए० ए० ए० जी० अस्पताल में व्यसनियों की पहचान और उनके उपचार के लिये एक केन्द्र है।

प्र० सं० 15—अधिकारी व्यक्ति, जिन्होंने हमारी प्रश्नावली का उत्तर दिया है, विधि जापीय की सिफारिश से सहमत है। तथापि, उनमें से कुछ का यह अभिमत है कि कुछ जिलों/राज्यों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे ऐसा अनुसूत करते हैं कि इसे तदनुसार, राज्य सरकार के विवेक पर सोड़ देना चाहिए कि वे आवश्यकतानुसार केन्द्र स्थापित करें।

प्र० सं० 16—विभिन्न न्यायालयों, पुलिस अधिकारियों, अधिकारीयों और गिलावियों द्वारा नियमित सुनाव दिए गए थे:—

(1) दृष्टि प्रक्रिया संहिता की धारा 167 का लागू होना अपवाहित किया जाए।

(2) दूसरा नमूना लेने के लिए स्पष्ट उपर्युक्त किया जाए।

(3) ज्ञानबन्द बनाने राजस्थान राज्य 1993 कि० ए० जे० 442 के परिवेष्य में, धारा 32(क) संशोधित की जाए।

(4) जहां तक राज्य का सम्बन्ध है सहायक आयुक्त को प्राधिकृत अधिकारी होना चाहिए।

पुलिस उपायुक्त को उसका ठीक ज्येष्ठ अधिकारी होना चाहिए।

(5) अन्य सरकारी विभागों के राज्यवित्त अधिकारी जैसे स्कूल हैड मास्टर, आदि भी स्वापक औषधि और मन्त्रप्रभावी पदार्थ अधिनियम की परिधि के भीतर लाए जा सकते हैं।

- (6) अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार पर, स्वापक औषधि और मन्त्रप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, अपराधों का पता लगाने और उनके अन्वेषण के लिए सी० बी० एन०, केन्द्रीय उत्ताद युल्क विभाग और पुलिस के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए एक कर्तव्य अधिरोपित करना चाहिए।
- (7) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार पर विकिसीय अधिकारियों, मनोचिकित्सकों और समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में पुनर्वासि केन्द्र खोलने का कर्तव्य अधिरोपित करना चाहिए।
- (8) किसी अग्रकाल या उत्तर व्यापित या बालक, नवजन्मक और महिला को उन्मोचित करने के लिए दृष्टि प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के परन्तुक के अनुस्पष्ट अधिनियम की धारा 37 का संशोधन किया जाए।
- (9) धारा 42 से “प्रवर्हण” पञ्च हटा किया जाए क्योंकि धारा 43 और धारा 49 इसके लिए पर्याप्त होंगी।
- (10) अधिनियम की धारा 43 के स्पष्टीकरण में “सरकारी कार्यालय” शब्द सम्मिलित किया जाए।
- (11) अधिनियम की धारा 36 (क) (1) (ब) और (ग) पुनःप्राप्तण अपेक्षित है, ताकि यह स्पष्टतः कथर हो कि यदि निरोध आवश्यक समझा जाता है तो प्रतिप्रेषण की शक्ति का प्रयोग किये करना चाहिए।
- (12) धारा 29(2), धारा 29(1) की संक्रियाओं को सीमित करती है। यदि धारा 29(2) के स्पष्टीकरण को समाविष्ट कर लिया जाए तो इसमें न केवल भारत में बड़वन्द्र/दुष्प्रेरण आ जाएंगे अपितु, वे प्रचालक भी होंगे जो इसके कथन के भीतर विदेश में हैं।
- (13) सम्पत्ति के सम्पर्हण से सम्बन्धित अध्याय 5क का इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए कि ओषधि व्यापारियों को स्वापक ओषधि और मन्त्रप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के कारण अंतिम प्रचुर सम्पत्ति को अन्तरित करने से निवारित किया जा सके।
- (14) धारा 37 का ऐसे पर्याप्त वार्गिकी सिद्धान्त समाविष्ट करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए जिन पर लोक अधियोजक जगतान्त पर उन्मुक्ति के लिए आवेदन का विशेष न कर सके।
- (15) धारा 36 (घ) (2) का, अंशान लेने के बाबजूद व्याप्ति प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ धारा विनियित (1993-2ए सी सी 16 और प्रकीर्ण क्रिमिनल केस सं० 2901/94) के विनिश्चय को दृष्टि में रखते हुए भी अम्बित मामलों को विशेष न्यायालय के अन्तरण की अनुज्ञा और उपबन्ध करने के लिए संशोधन किया जाए।
- (16) दृष्टि के विस्तरन के लिए व्यायिक उद्धोषणाओं के परिवेष्य में, समुचित मामलों में न्यायालय की विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए धारा 32(क) को हटाया या संशोधित किया जाए।
- (17) पुरस्कार, मैरिट की नीति को समाप्त किया जाए ताकि इन मामलों के सम्बन्धित राजिस्ट्रीकरण से बचा जाए और अधिक निष्पक्षता का तत्व लाया जाए।
- (18) सील लगाने, नमूना लेने, जमा करने और प्रेषण के लिए अन्तर्भूत जाने वाली समुचित शक्ति का उपबन्ध किया जाए।
- (19) धारा 36(क) (1) की धारा (ब) को हटाया जाए।

- (20) स्वापक ओषधि और यन्त्रप्रभावी पदार्थ अधिनियम से सम्बद्ध सभी विभागों को नाम पुरस्कार में एकलृप्त होनी चाहिए।
- (21) स्वापक ओषधि और यन्त्रप्रभावी पदार्थ अधिनियम के सभी उपबन्धों की बाबत, सभी पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं।
- (22) और अधिक स्लेफर कुत्ते रखे जाएं तथा उनके लिए और प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं।
- (23) स्वापक के अधिग्रहण पर स्लेफर कुत्तों के नाम पर ही नकद पुरस्कार न दिया जाए अपितु कुत्ते के साथ रहने वाले पुलिस कार्मिकों को भी दिया जाए।
- (24) भेदिया को और प्रेत्साहन दिया जाए।
- (25) अवैध रूप से अल्जित सम्पत्ति की परिभाषा (धारा 68 छ (छ)) को व्यापक बनाया जाए ताकि उसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति सम्पर्क) अधिनियम, 1973 के अधीन परिभाषित “अवैध रूप से सम्पत्ति” के उपबन्ध आमिल हो सके।
- (26) धारा 28 (ग) की उपधारा (2) के परन्तु को हटाया जाना चाहिए।
- (27) धारा 68छ की उपधारा (1) में “अध्याय लागू होता है” शब्दों के पश्चात् “भारत में या भारत के बाहर किए गए इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का आज्ञाय लगाया गया है” शब्दों को हटाया जाना चाहिए।
- (28) राज्य सरकार द्वारा प्राविष्टुत दुकानों के वाधाय से लकीज़/पोस्ट गाज़ा आदि जा विक्रय रोक दिया जाना चाहिए।
- (29) पुरस्कार के लिए रकम बढ़ाई जानी चाहिए।
- (30) अधिनियम की धारा 9, 41 और 42 के उपबन्धों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।
- (31) स्वापक ओषधि और यन्त्रप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 68क के युक्तावले में 68छ का पुनरीक्षण करके “आरोपित” शब्द के बारे में आंशका/संकिर्णरूपता को दूर किया जा सके।
- (32) राज्य उत्पाद-शुल्क विभाग द्वारा “मांग ठेके” के अनुज्ञापन पर भी विवार किया जाना आवश्यक है।
- (33) इग सिडिकेटों के लिए और कठोर दण्ड दिया जाए।
- (34) सम्पत्ति के सम्पर्क से सम्बन्धित उपबन्ध (वाधाय 5क) के सत्काल संशोधन की आवश्यकता है जबकि धारा 68क और 68छ विवेदात्मक हैं।
- (35) राज्य प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा स्वापक ओषधि और यन्त्रप्रभावी पदार्थ अधिनियम के नामलों में, साथी के रूप में, उपयोग किए जाने वाले नियुक्त राज्य अधिकारियों के लिए नए उपबन्ध जोड़े जाएं।
- (36) प्रस्तावित संशोधन (प्रश्नावली के) की धारा 50(3) को हटाया जाना चाहिए।
- (37) मृदु ओषधि और कठोर ओषधि के बीच वर्गीकरण किया जाना चाहिए और उनके बीच दण्ड में पर्यावरण किया जाए।
- (38) सम्पर्क ओषधि के लिए अधिकारियों को कोई पुरस्कार न दिया जाए। ऐसा पुरस्कार उन निजी दलों के मामले में दिया जाए जो जानकारी देते हैं।
- (39) ओषधि का सामान्य कब्जा तब तक दंडनीय नहीं होना चाहिए जब तक कि उसे जान-बङ्कर करके में न रखा गया हो।

ऐसे व्यक्तियों की तूली, जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दिया

राष्ट्रीय समितार के लिए भेजे गए

व्यायाधीश/रजिस्ट्रार, आदि

1. व्यायाधीश जै.जी. चितरे, व्यायाधीश भव्य प्रदेश उच्च व्यायालय, खंडपीठ, इन्दौर।
2. व्यायाधीश ए. आर. तिवारी, व्यायाधीश उच्च व्यायालय खंडपीठ, इन्दौर।
3. रजिस्ट्रार, मद्रास उच्च व्यायालय।
4. श्री एम.एन. कुमार, रजिस्ट्रार, केरल उच्च व्यायालय।
5. व्यायाधीश (श्रीमती) पी.डी. उपासनी, मुंबई उच्च व्यायालय।
6. व्यायाधीश (श्रीमती) आर.जी. वैद्यनाथ मुंबई उच्च व्यायालय।
7. श्री जै.एन. बरोवालिया ज्येष्ठ सेवान्तर्मुख व्यायाधीश और मुख्य व्यायिक अधिस्ट्रेट, मण्डी जिला, मण्डी (है.ग्र०)।
8. श्री सैंपद वसीर लहौरी, रजिस्ट्रार, जम्मू और कश्मीर उच्च व्यायालय।

अधिवक्ता/अधियोजक

1. डॉ. जी. कृष्णामूर्ति, अधिवक्ता, मद्रास उच्च व्यायालय।
2. श्री बीनू कुमार, अधिवक्ता, अध्यक्ष, विधिज संगम, विवेन्द्रम (केरल)।
3. श्री पी.एन. प्रकाश—अपर विशेष लोक अधियोजक, स्वापक पदार्थ, भारत सरकार, मद्रास उच्च व्यायालय।
4. श्री कौ.टी.ए.रा. तुलसी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम व्यायालय, नई दिल्ली।

पुलिस अधिकारी/अन्य अधिकारी

1. श्री दी.पांडे, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अवैषयिक विभाग, अपराध, उड़ीसा, कटक।
2. पुलिस महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर।
3. श्री एम.पी. मेहानाथन उप विधि सलाहकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, ऎन.सी.बी.०, नई दिल्ली।
4. श्री ए.०.क०.सिंह, पुलिस अधीक्षक, ए०एन०सी०, पश्ची-गोवा।
5. श्री एस०क०. चट्टर्जी, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस महानिदेशक, विपुरा।
6. पुलिस महानिरीक्षक, संघ राज्यक्षेत्र, चण्डीगढ़।
7. श्री सी.पी. गिर, भारतीय पुलिस सेवा, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक (स्वापक पदार्थ) नागर्नाड़, कोहिमा।
8. श्री यतीश चन्द्र, अपर पुलिस महानिदेशक (स्वापक पदार्थ छंड) पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
9. श्री अशोक जोशी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सचिव, मद्रास सरकार।
10. श्री पी.०. एस० बाबा, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस महानिदेशक, तिकिकम।

11. अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, पंजाब।
12. निदेशक अपराध अभिलेख व्यूरो, पांडिचेरी।
13. पुलिस महानिदेशक, बंगलौर, कर्नाटक।
14. पुलिस महानिदेशक मणिपुर, इमफाल।
15. आंचलिक निदेशक, एन.सी.०.वी.० सुबई।
16. आयुक्त, सी.ई. और सी.पु.ए.
17. आयुक्त, सी.ई. और सी.बडोदरा।
18. आयुक्त, सी.ई. और सी.जयपुर।
19. आंचलिक निदेशक, एन.सी.बी. दाराणसो।
20. आयुक्त, सी.ई. और सी.टाजकोट।
21. विशेष पुलिस अधीक्षक, अपराध जांच विभाग, असम।
22. पुलिस उपायुक्त, स्वापक वदार्थ और अपराध निवारण, दिल्ली।
23. अधीक्षक, सीमाशुल्क (विधि) गोवा।
24. अधीक्षक, सी.ई., पणजी।
25. अधीक्षक, सी.ई., उत्तरी गोवा, चम्पारा, गोवा।
26. आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नंदीगढ़।

शिक्षाविद्

1. प्रो० जोगा० राव, नेशनल जॉ० स्कूल ऑफ इंडिया, युनिवर्सिटी।
2. प्रो० एम०आर०के० प्रगाढ, महादेव कालेज ऑफ लॉ पणजी, गोवा।

उपर्युक्त ३

स्वापक शोषणी और जनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ के अधीन
उपर्युक्त वंड

क्रम सं०	अपराधों का विवरण	न्यूमतम्		अधिकतम्	
		कारबास	जूमाना	कारबास	जूमाना
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१.	खेती, उत्पादन, विनिर्माण, कम्बा० क्षय, विक्रय, परिवहन, डिलीवरी उपयोग या उत्पादन, अंतर-राज्य आयात।				
	(क) शेष सूण (धारा १)	१० वर्ष स० क०	१ लाख रुपए	२० वर्ष स० क०	२ लाख रुपए
	(ख) कौशल के पौत्र और लोकों की परिवारी (धारा १६)	१० वर्ष स० क०	१ लाख रुपए	२० वर्ष स० क०	२ लाख रुपए
	(ग) अक्षम वौल्ट, अक्षम और निर्मित (धारा १७, १८, १०)	१० वर्ष स० क०	१ लाख रुपए	२० वर्ष स० क०	२ लाख रुपए
	(घ) गांजा से चिक फैनेविल (धारा २०)	१० वर्ष स० क०	१ लाख रुपए	२० वर्ष स० क०	२ लाख रुपए
	(इ) गांजा (धारा २०)			५० वर्ष तक स० क०	५०,००० रुपए तक
	(ज) विनिर्मित और वितरित निर्वितीय (धारा २१)	१० वर्ष स० क०	१ लाख रुपए	२० वर्ष स० क०	२ लाख रुपए
	(झ) सभी जनःप्रभावी पदार्थ (धारा २२)	१० वर्ष स० क०	१ लाख रुपए	२० वर्ष स० क०	१ लाख रुपए
२.	स्वापक औषधियों और जनः प्रभावी पदार्थों के उत्पादन से भारत में आयात, भारत से नियंत्रित या आनंदरुप हो लिए वंड (धारा २३)	१० वर्ष स० क०	१ लाख रुपए	२० वर्ष स० क०	२ लाख रुपए
३.	धारा १२ के उल्लंघन में स्वापक औषधियों और जनःप्रभावी पदार्थों में वाहू य उत्पादन के लिए वंड (धारा २४)	१० वर्ष स० क०	१ लाख रुपए	२० वर्ष स० क०	२ लाख रुपए
४.	१ किलो अपराध के लिए जाने के लिए किसी परिसर, बहाते, जगह, स्थान, दोषवस्तु या प्रवहण के उपयोग किए जाने की अनुत्ता देने के लिए वंड (धारा २५),	१० वर्ष स० क०	१ लाख रुपए	२० वर्ष स० क०	२ लाख रुपए
५.	१ किलो नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, प्रदाय, विक्रय, क्षय, उत्प- योग, उपयोग, भंडारण, वितरण, अपराध अर्जन के लिए वंड (धारा २६)	१० वर्ष तक स० क०	१ लाख रुपए	२० वर्ष स० क०	२ लाख रुपए
६.	अनुक्रमित या उत्पादन के लिए वंड (धारा २६)	३ वर्ष तक कारबास	या जूमाना या दीनों		

1	2	3	4	5	6
7(क) कोकीन, भारतीन, डाइसेटिल भारकीन या किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभाली पदार्थ के, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, वैयनिक उपयोग के लिए अल्पमात्रा में अवैध कब्जा रखने के लिए दंड (धारा 27)	1 अर्ज तक कारा- या जुमर्ना या दोनों आत	6 आत तक कारावास	या जुमर्ना या दोनों	10 वर्ष स०क० । 1 लाख रुपए, 20 वर्ष स०क० । 2 लाख रुपए	उस विशिष्ट अपराध के लिए यथा उपबंधित
(ल) ऊपर 7(क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न स्वापक ओषधि या मनः- प्रभाली पदार्थ के वैयनिक उपयोग के लिए अल्पमात्रा में अवैध कब्जा रखने के लिए दंड (धारा 27)					उस विशिष्ट अपराध के लिए यथा उपबंधित
8. किसी अपराध का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः चित्त पोषण करने या पूर्ववर्णित क्रियाकलार्णे में किसी में जो किसी अवित को संबंध देते या उसको करने में घटयत्र के लिए दंड (धारा 27)					
9. इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का किया जाना करित करने का प्रयत्न या ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के क्रिए जाने के संबंध में, कोई कार्य करने के लिए दंड (धारा 28)					
10. इस अधिनियम के अध्याय 9 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का हुड्ड्यरण करने और ऐसा कोई अपराध करने का अपराधिक बद्धत करने, जहाँ ऐसा अपराध देश दुष्प्रेषण या आपराधिक हुड्ड्यर के परिणामस्वरूप किया जाता या नहीं; के लिए दंड (धारा 29)					
11. धारा 15से धारा 25 तक के (बोनी वाहित) किसी उपबंध के अधीन दंडनीय अपराध गठित करने की तैलारी करने या करने का लैप के लिए दंड (धारा 30)।	सामान्य दंड का आमा	सामान्य दंड का आमा	सामान्य दंड का इगुना		
12. पश्चात्वर्ती (धारा 31)	सामान्य दंड का इगुना	सामान्य दंड का इगुना	सामान्य दंड		
13. उपधारा 21 के यथा जिलीजित करियर स्वापक ओषधि या मनः- प्रभाली पदार्थ की विनिर्दिष्ट शास्त्र के लिए व्यापक ओषधि या मनः- प्रभाली पदार्थ के उत्पादन, विनि- योग, कब्जा, परिवहन, भारत में आपात, भारत स्थिरत या यानी- तरणमें लगे रहने से संबंधित किसी अपराध के करने या करने का प्रयत्न करने या हुड्ड्यरण करने या हुड्ड्यरण करने के अपराधिक बद्धत की बाबत पश्चात्वर्ती दोष- सिद्ध के लिए दंड (धारा 31 क)					

भारत के इतिहास में पहली बार के लिए मृत्युदंड स्वापक ओषधि और मनःप्रभाली पदार्थ (संसाधन) अधिनियम, 1968 के अधीन उपबंधित किया गया है। उदूत धारा 31क के अधीन, जहाँ कोई व्यक्ति
इस से बाहर आपराधिक अधिकारिता के सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है तो उसी
कर कार्यवाही की जाएगी मानो वह भारत के किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है।

2. इसके अतिरिक्त, धारा 32क के उपबंधों के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्काल
प्रवृत्त किसी अन्य विधि (किन्तु धारा 33 के उपबंधों के अधीन) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,
इस अधिनियम के अधीन इसे गए किसी दंड को निलंबित या उसका परिवार या लक्ष्यरण नहीं किया
पाएगा।

3. धारा 36 अपराधियों का शीघ्र विचारण और दंड के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का
उपबंध करता है।

4. धारा 37 यह उपबंध करती है कि अपराध संज्ञय और अज्ञानतावीय होता।

5. धारा 59 के अधीन इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी पर आरोपित कार्रवाई की अवहेलना
या जानबूझकर उपभोग्य/मौनानुभावि 10 वर्ष के सक्षम कारावास/एक लाख रुपए के जुमनि से, जो दीस
वर्ष के सक्षम कारावास/दो लाख रुपये के जुमनि तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा। “आफिसर” पद
के अंतर्गत सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे साम्यता दिए गए किसी अस्ताल/संस्था में
नियोजित कोई भी अधिकारी अपराधियों के लिए समिलित है।

6. धारा 64क में उपचार के लिए स्वेच्छापूर्वक जाने वाले व्यक्तियों को अभियोजन से छूट देने
का उपबंध है।

छपावंभू ४

तारीख 30-8-96 को राष्ट्रीय औषधि प्रबन्धन से संबंधित में आई है

(अनंतिम)

वर्ष		1992	1993	1994	1995	1996
1.	विभिन्न प्रकार की ओषधियों की जब्ती कि०शा० में और मामलों की सं०					
अफीम	जब्ती	1918	3011	2256	1339	1338
	मामले	1286	1679	1171	871	349
भारकीन	जब्ती	35	36	51	4	1
	मामले	158	105	145	35	20
हिरोइन	जब्ती	1153	1088	1011	1678	877
	मामले	2779	3383	3331	3236	1245
गाजा	जब्ती	64341	98867	187896	121873	26531
	मामले	5839	5214	6827	5737	20309
हस्तीश	जब्ती	6621	8232	6992	3629	4825
	मामले	2516	2827	2762	2691	986
कौबीन	जब्ती	0,420	2	1,58	50	0
	मामले	4	4	6	6	2
मेथावेलोन	जब्ती	7475	15004	45319	20485	9
	मामले	167	283	457	196	4
फैतीब्राउंचटल	जब्ती	118020	टिकियाँ	-	6	0
	मामले	2	-	-	0	0
एल एस डी जब्ती (एस ब्यू) बेपरस	जब्ती	50	164	256	113	1285
ऐसिटिक एन हाइड्राइक (लिटर में)	मामले	-	1	-	1	7
	जब्ती	-	19758	47740	9282	2892
	मामले	-	22	40	26	8
2.	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति					
(क)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	12650	13723	15452	14673	5203
	जिनमें विदेशी नागरिक भी हैं।					
(ख)	विदेशी नागरिकों की सं०	116	114	136	148	110
3.	ओषधि व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विस्तृत की गई कार्रवाई					
(क)	अभियोजित व्यक्तियों की सं०	7172	9964	9154	12918	5505
(ख)	सिद्धदोष घाए गए व्य- क्तियों की सं०	761	1488	1255	2456	1472
(ग)	दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की सं०	1762	2633	3165	3914	2285
4.	पिटोपेश (स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ) अधिनियम, 1988 के अधीन की गई कार्रवाई					
	पिटोपेश अधिनियम, 1988	97	116	156	111	45
	के अधीन आरी किए गए					
	पिरीध आदेशों की सं०					
	विस्तृत किए गए व्यक्तियों की संख्या	80	92	123	69	38

वर्ष	1992	1993	1994	1995	1996
5. स्वापक ओषधि उत्पादक पोद्धारों का विनाश					
(क) पोस्ट पौधा					
शेल (एकड़ में)	19	67	0.5	5	0
संभाव्य उत्पादन (किग्रा में)	135	794	9	10	0
(ख) कैरेबियन पौधा					
शेल (एकड़ में)	1219	2587	858	638	16
संभाव्य उत्पादन (कि.ग्रा. में)	1230209	3270661	1073334	694617	9850
6. समिक्षण सुविधाओं का विनाश					
(क) पता लगाई गई प्रसुविधाएं और जब्त तैयार ओषधि की मात्रा, कि.ग्रा. में					
हिरोइन	1.010	1	27	6	0
पता लगाई गई प्रसुविधाएं	5	4	3	3	0
हशीश	=	=	=	0	0
पता लगाई गई प्रसुविधाएं	=	=	=	0	0
सिट्रीकबेलन	3651.000	1710	6091	7336	0
पता लगाई गई प्रसुविधाएं	3	2	8	4	1
मारफीन	0.760	=	=	0	0
पता लगाई गई प्रसुविधाएं	1	=	=	0	0
(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	7	3	26	17	1
(ग) जब्त की गई आपराधिक सामग्री किग्रा में					
ऐसिटिक एनहाइड्राइड	-	21040	-	0	0
ऐसिटिल एथानिलिक					
ऐसिड (लिटर)	-	-	-	561	0
ऐसिटिल एथानिलिक पाउडर	-	-	-	100	0
ऐसिटिल क्लोरोइड	-	-	-	0	0
अमोनियम क्लोरोइड	-	-	18.5	7	0
डाइऐथिल हाय्ड्र	-	-	0	0	0
ऐथनोल	-	-	0	0	0
अकीम	37.950	2.750	82	10	0
अकीम थोल (लिटर)	-	-	-	0	0
सोडियम कार्बोनेट	-	-	-	0	0
7. जब्त स्वापक ओषधि और अन्य प्रभावी घटारों का निपटान					
अकीम	254	449	33.3	5	15
साईक्सीन	1	=	=	0	0
हिरोइन	807	240	463	404	22
याजा	3962	10699	12850	1809	46
हशीश	1117	1115	2234	8709	99
कोकीन	2	-	0.95	0	0
ऐथाक्वेकीन	114	17345	9449	10852	418
फेनामार्बिटल	-	-	-	-	0
एल एस डी (एस क्यूपरस)	-	-	-	-	0
ऐसिटिक एनहाइड्राइड (लिटर)	-	-	-	-	0

वर्ष	1992	1993	1994	1995	1996
८. दायरी का सम्पर्क					
(क) सम्पर्क संपत्ति का मूल्य (हॉ में)	888337	-	1024400	309479	274479
यात्रियों की सं०	५	-	१	३	१
(ख) रोक समाई संपत्ति का मूल्य (हॉ में)	37026070	904044	85067571	210428345	456000
यात्रियों की सं०	४	७	१७	२७	२
९. अन्य अधिकरणार सं०					
संयुक्त भारत	12751	33518	12799	14657	4928
स्वास्थ्यक नियंत्रण ब्यूरो	८८	११६	९०	३८	३५
आद्यता राजस्व निवेशालय	५	१८	२८	२९	५
सोमाकृष्ण केर्नीय उत्पाद शुल्क	६१८	४७४	४१७	२७२	७६
सोमा सुरक्षा बल	४२	१२५	१८०	२७६	११२
केर्नीय अव्यव्याप्ति ब्यूरो	-	१२	६	१	०
शुद्ध अधिकरण (योग)	11984	12694	13865	12119	4671
पुस्तिका	-	12497	13526	11833	4649
उत्पाद-शुल्क	-	१९७	३३९	२८६	२२
शुद्ध उत्पाद संक्रिया	-	-	-	-	१३
व्यापक अधिकरण अब्द की गई मात्रा का अंदौरा (कि० रुपा०)					
१०. व्यापक नियंत्रण ब्यूरो					
अफीम	३०	१८६	१.४	४९	११
मारकीन	-	-	-	-	०
हीरोइन	८५	६९	१०१	७५	७८
गांजा	३५९	३३४९	३२२८	४६२	५२
हृतीय	२	३४७	२६१	२७	२९
कोकीन	-	०.०६	-	०	०
सेशाक्षेलोन	१४९१	५७७६	६७६	१०६४	५
फैनोबाइटल	६३५९०	टिकिया	-	-	०
एल एस डी	-	-	-	-	०
ऐसिटिक एमहाइड्राइड (लिटर)	-	-	-	८८०	-
११. राजस्व आत्मना नियंत्रण					
अफीम	१४३	३९३	०.०४	२९	०
आर्फीन	०.१९०	-	-	-	०
हीटोइन	०.०३५	१४०	१८	२४३	१०३
गांजा	-	७०३	११७०	१६३३	१३
हृतीय	७४	-	१३४०	१३०	३५०८
कोकीन	-	-	-	-	०
सेशाक्षेलोन	-	३७२	१२६२०	१४०९९	०
फैनोबाइटल	-	-	-	-	०
एल एस डी	-	-	-	-	०
ऐसिटिक एमहाइड्राइड (लिटर)	-	२०००	-	-	०
एस.सी.बी. नई विस्तृती					

वर्ष	1992	1993	1994	1995	1996
१२. सीमा बाहक और केर्नीय उत्पाद-शुल्क					
अफीम	६८	१११	२६	६१	७६
मारकीन	२	-	३०	२	०
हीरोइन	८३	११४	१५२	२०७	११२
गांजा	१२२२१	२२१४६	२२६२१	६७५४	७८९
हृतीय	११५	१३६९	१२९४	८५०	५७६
कोकीन	०.३१०	१	-	३	०
सेशाक्षेलोन	१६३८	४१४०	११३६१	२०५	४
फैनोबाइटल	५४४३०	टिकिया	-	-	०
एल एस डी	-	-	-	-	०
ऐसिटिक एमहाइड्राइड	-	८०००	२५२७५	७८	२११७
(लिटर)					
१३. केर्नीय स्थापक नियंत्रण ब्यूरो (सी० बी० एम०)					
अफीम	५३३	१२७	४६८	१८५	११६
मारकीन	२	२	-	-	०
हीरोइन	१०	२५	२२	६०	२
गांजा	५३	१५२	१६८	५२	०
हृतीय	-	१९	१	-	०
कोकीन	-	-	-	-	०
सेशाक्षेलोन	-	-	-	-	०
फैनोबाइटल	-	-	-	-	०
एल एस डी	-	-	-	-	०
ऐसिटिक एमहाइड्राइड (लिटर)	-	-	-	-	०
१४. सोमा सुरक्षा बल (बी० एस० एफ०)					
अफीम	-	१२	८	-	०
मारकीन	-	०.२९५	०.५	-	०
हीरोइन	२९	७७	१७७	६५३	१२४
गांजा	२८१	११५६	१४६६	२०७३	१५७८
हृतीय	३७३	८१३	५१३	४९१	११६
कोकीन	-	-	-	-	०
सेशाक्षेलोन	-	-	-	-	०
फैनोबाइटल	-	-	-	-	०
एल एस डी	-	-	-	-	०
ऐसिटिक एमहाइड्राइड	-	-	-	४७१५	१४०
(लिटर)					
१५. कन्नीव-अव्यवस्था ब्यूरो (सी० बी० आई०)					
अफीम	-	३	२	-	०
मारकीन	-	-	-	-	०
हीरोइन	-	१३	६	-	०
गांजा	-	२	-	-	०
हृतीय	-	७	६	१३	०
कोकीन	-	-	-	-	०
सेशाक्षेलोन	-	-	-	-	०
फैनोबाइटल	-	-	-	-	०
एल एस डी	-	-	-	-	०
ऐसिटिक एमहाइड्राइड (लिटर)	-	-	-	-	०

वर्ष	1992	1993	1994	1995	1996
इ. राज्य पुलिस					
बकीम	1017	2196	1751	1044	1136
मारफोन	30	34	20	2	1
हीरोइन	838	638	530	430	336
गैंडा	49374	68310	144754	108963	24079
हसीथ	2057	5680	3571	2039	530
कोकीन	0.110	1	1.2	37	0
मेथाक्षेलोन	4346	4736	20462	5117	5
फेनामाइटल	-	-	-	-	0
एल एस डी (एस क्यू वेपर)	50	184	256	-	648
ऐसिटिक एनहाइड्राइड (सिटर)	-	2257	18815	3606	110
इ. राज्य उत्पाद-शुल्क					
बकीम	7	3	-	-	0
मारफोन	1	69 एस०	-	-	0
हीरोइन	8	12	8	9	0
गैंडा	2083	3040	14489	1937	20
हसीथ	-	3	7	79	1
कोकीन	-	-	-	-	0
मेथाक्षेलोन	-	-	-	-	0
फेनामाइटल	-	-	-	-	0
एल एस डी	-	-	-	113	637
ऐसिटिक एनहाइड्राइड (सिटर)	-	-	-	-	0
इ. संयुक्त संक्रिया					
बकीम	-	-	-	-	0
मारफोन	-	-	-	-	0
हीरोइन	-	-	-	-	122
गैंडा	-	-	-	-	0
हसीथ	-	-	-	-	65
कोकीन	-	-	-	-	0
मेथाक्षेलोन	-	-	-	-	0
फेनामाइटल	-	-	-	-	0
एल एस डी	-	-	-	-	0
ऐसिटिक एनहाइड्राइड (सिटर)	-	-	-	-	525

एक.सी.शी. वह फिल्मी

उपचारित 5

गोवा में हुई कार्रवाला को कार्रवाहितों का सार

गोवा सरकार और भारत के विधि आयोग के तत्वाधान में, तारीख 18 जनवरी, 1997 को होटल बनदेवी, पणजी, गोवा में, दृष्टिक विधि और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में, एक कार्रवाला आयोजित की गई।

उक्तमें निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थिति थे :

1. श्री पी० सुंदरराजत, अपर जिला न्यायाधीश, मारगावं।
2. श्री ए० डी० सलकार, अपर जिला न्यायाधीश और ज्येष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन० डी० पी० सी०, मपूसा।
3. श्री ए० पी० कार्डोसो, अधिवक्ता।
4. श्री एस० एस० करिमा, लोक अभियोजक, मारगावं।
5. श्रीमती शोभा धूमसकर, लोक अभियोजक, मपूसा।
6. श्री ए० के० सिह, पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) पणजी, गोवा।
7. श्री गोपाल एम० जाधव, पुलिस निरीक्षक।
8. श्री एन० वी० महाबल, पी० एस० आई।
9. श्री जेलर सी० डी० सुआजा, अधिवक्ता, गोवा।
10. श्री नरेन्द्र एस० ए० सवायकर, अधिवक्ता, (उच्च न्यायालय विधिशाली सम्बन्ध)
11. श्री एस०पी० करवलहो, उत्पाद-शुल्क अधीक्षक।
12. डॉ० डा० कर्मोडिसूजा, एम०एस० कालेज, पणजी।
13. प्रो० एम० आर० के० ग्रसाद, कालेज आफ लॉ, पणजी।
14. श्री सुरेण नड्लकर, अधिवक्ता, उत्तरी गोवा जिला।
15. श्री देवानंद शेतकर, अधिवक्ता ऐशोसिएशन।
16. प्रो० जे० जी० प्रभुदेसाई, जी० आर० कारकाले।
17. प्रो० के० वी० बुनेकोलीनकर अ०क लॉ, मारगावं।
18. श्री आई डी० मुक्ता, उप अधीक्षक पुलिस, पणजी, गोवा।
19. श्री राजेन्द्र राऊत देसाई, पी० एस० आई०।
20. श्री पाढुरंग एस० कलंगूलकर, पी० एस० आई०।
21. श्री डौ० एस० सवंत, पी० एस० आई०।
22. श्री जी० वी० धूम, लोक अभियोजक।
23. श्री मानुदेव गौकर, सहा० लोक अभियोजक।
24. श्रीमती इडना रोडरीगुअस, लोक अभियोजक।
25. श्री प्रसोद एस० हैड, लोक अभियोजक।
26. श्री वी० एन०एल० मलकरनीकरण, लोक अभियोजक।

27. श्रीमती अरसेकर, सहायक लोक अभियोजक।
28. श्री शेखर एस० परब, सहायक लोक अभियोजक, पणजी।
29. श्री तेजादीलिंदा एस० सरदिन्हा, सहायक लोक अभियोजक।
30. श्री सुभाष पी० वेस्टाई, सहायक लोक अभियोजक क्षयपिम।
31. श्री इंद्रीदास केरकर, सहायक लोक अभियोजक।
32. श्री शेलेश कलंगत्कर, सहायक लोक अभियोजक, पणजी।
33. श्री लाडिसलाड एस० फन्डिज, सहायक अभियोजक, बासको।

मात्रीयत्यायमूर्ति के ० जयचन्द्र रेहडी, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग ने, कार्यशाला की अध्यक्षता की। उन्होंने, विधि आयोग हारा जारी की राई प्रश्नावर्ती के संदर्भ में, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ के विभिन्न उपांगों का संशोधन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने, भाग लेने वालों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया।

कुछ भाग लेने वालों का यह विचार था कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन और अधिक ओषधियां लाई जानी चाहिए। उनके अनुसार, मात्र छह पर्याप्त नहीं होगा। ओषधि के हुरूपयोग के कुप्रभावों के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता भी होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करना चाहिए। इस संबंध में, प्रेस और मीडिया भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं।

कुछ अन्य भाग लेने वालों ने यह संकेत दिया कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन विहित विभिन्न स्वापक ओषधियों की अल्पमात्राओं के लिए उपबंध और इसके लिए विहित दंड समाप्त प्राप्त प्राप्त नहीं हैं।

इस विषमता पर कावृ पाने के लिए, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के सुसंगत उपबंधों की संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

उनमें से कुछ ने, यह विचार अभिव्यक्त किया कि निजी उपयोग के लिए ओषधि वी अल्पमात्रा में कठोरों के संबंध में, कार्रवाई करने वाली स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा २७ को हटा दिया जाना चाहिए।

यह भी सुनाव दिया गया था कि इस अधिनियम के अधीन मामलों पर उन्नय रूप से कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, वह सुनाव दिया गया था कि मृदु ओषधि के उपभोक्ताओं, नियमित या यदा कदा प्रयोग करने वाले, दोनों की स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के कार्यक्रम के अस्तर्गत लाने की आवश्यकता है।

उपांग ८

प्रियान अवृत्त, नई दिल्ली में २२-२३ फरवरी, १९९७ को आयोजित दाँड़िक न्याय संबंधी राष्ट्रीय समोष्ठी की कार्यवाहियों का सार

समोष्ठी में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे :

- अनौता अग्रवाल, मुख्य उच्च न्यायालय।
- इ०सी० अग्रवाल, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।
- महेश अग्रवाल, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।
- एस०क० अग्रवाल, अधिवक्ता।
- मुख्य शारदा अग्रवाल, अपर जिला सेनन न्यायाधीश, दिल्ली।
- न्यायमूर्ति डा० ए० एस० आनंद, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय।
- मुख्य आनंद पिकी, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय।
- एस० डी० आनंद, संयुक्त न्यायप्रिय, (विधि) हरियाणा।
- टी० एस० अरणाचलम, ज्येष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।
- डा० आदित्य आर्य, उपायुक्त, दिल्ली पुलिस।
- रीना बग्गा, अधिवक्ता।
- बी० बाला जी, अधिवक्ता।
- पी० एम० बद्धी, भूतपूर्व दादस्य, विधि आयोग।
- एम० बालचन्द्रन, उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो।
- डी० बनजी, अपर उपायुक्त, आसूना, कलकत्ता।
- अचल भगत, ज्येष्ठ परामर्शी, अपोलो हास्पिटल।
- ए० पी० भट्टाचार, अपर पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब।
- ओमेश्वर भारहाज, उप महानिरीक्षक, राजस्थान।
- ८० एम० विश्वास, सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिराष्ट्रीय आयोग।
- भारतचन्द्र, अपर पुलिस महानिरीक्षक, आन्ध्रप्रदेश।
- डा० सतीश चंद्र, अपर विधि अधिकारी, विधि आयोग।
- मुख्य मुसरफ कीर्ती, अधिवक्ता।
- एस० शी० चावला, अधिवक्ता।
- आर० सी० चोपड़ा, अपर जिला और सेनन न्यायाधीश, दिल्ली।
- बी० एस० दात, अधिवक्ता, कटक।
- मनोज कौ० दास, अधिवक्ता।
- बी० न्यायमूर्ति, बी० एस० दवे, सेनानिवृत्त, अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग, राजस्थान।
- आर० पी० चानिया, मुख्य अधियोजक, अभियोजन निवेशालय, दिल्ली।
- मुजाता, चावेल, डाक्टर ऐसोशिएशन आफ कॉर्फैडरैशन।
- आर० सी० दीक्षित, अपर पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- एन० दुलरे, उपमहानिरीक्षक, ग्रासियर।
- एस० कौ० गंभीर, अधिवक्ता, दिल्ली।
- बिल्लक गंभीर, अधिवक्ता, दिल्ली।
- न्यायमूर्ति ए० कौ० गंगुली।

मनीष गर्मि, अधिवक्ता, दिल्ली।
 डी० एन० गौतम, उपमहानिरीक्षक, भारतीय तिथिक सीमा पुलिस।
 सुबोध विभिन्नियाल, पत्रकार।
 बी० एल० गुलामी, सचिव (विधि) हरियाणा।
 अरुणेश्वर गुप्ता, अधिवक्ता।
 अरविंद गुप्ता, अधिवक्ता।
 ए० के० गुप्ता, अधिवक्ता।
 दीपांकर, गुप्ता, सहायक पुलिस महानिदेशक (अपराध), जस्त प्रदेश।
 न्यायमूर्ति आर० एल० गुप्ता, सदस्य, विधि आयोग।
 नरेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता।
 शेखर गुप्ता, संगादक, इडियन एक्सप्रेस।
 श्रीमती जैकब एलिस, सदस्य, विधि आयोग।
 आर० सी० जैन, नई दिल्ली।
 आर० के० जैन, ज्येष्ठ अधिवक्ता, नई दिल्ली।
 न्यायमूर्ति एम० एन० क्ला, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय।
 सुश्री काक पूर्णिमा भट, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।
 मुमन कपूर, अधिवक्ता।
 पं० परमार्द कटारा अधिवक्ता।
 संजय काव, पत्रकार।
 रमाकान्त खलप, विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंडी।
 सुश्री रुधि खुराना, प्रशिक्षणार्थी अधिवक्ता।
 लौ० जी० कृष्णमूर्ति, सदस्य, विधि आयोग।
 मुकेश कुमार, प्रशिक्षणार्थी अधिवक्ता।
 सुशील कुमार, ज्येष्ठ अधिवक्ता।
 न्यायमूर्ति स्वर्तंद कुमार, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय।
 के० कुमारास्यामी, अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), तमिलनाडु।
 ललित उदय, अधिवक्ता।
 रमेश मंचारदी, मुख्य अभियोजक, अभियोजन निदेशालय, दिल्ली।
 न्यायमूर्ति वी० मुजाता मनोहर, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय।
 डा० जी० जी० पंसारामनी, दिल्ली।
 एस० पी० माथूर, वी० पी० आर० एंड डी० अन्ने मैथ्यु, अधिवक्ता।
 आर० एल० मीणा, सदस्य सचिव, भारत का विधि आयोग।
 विपिन नाथर, अधिवक्ता।
 नारायण नंद इन्द्र अधिवक्ता।
 श्रीमती नारायण रंजन, अधिवक्ता।
 एफ० एस० नरीमन, ज्येष्ठ अधिवक्ता।
 आर० निखलेश, अधिवक्ता।
 पहवा विकास, अधिवक्ता।
 पाली आनंद, अधिवक्ता।

सुश्री पाली रेखा, अधिवक्ता।
 डी० एस० पंधेर, महानिदेशक वी० पी० आर० एंड डी०।
 न्यायमूर्ति एस० आर० पांडियन।
 के० पार्थ सारथी, विधि सचिव, पांडिचेरी।
 पी० एच० पारेख, अधिवक्ता।
 मैक्सवेल परेरा, अपर पुलिस आयुक्त।
 डी० आर० प्राचन, विधि विभाग, सिविकम सरकार।
 डी० एस० वी० प्रसाद, संयुक्त निदेशक, एस० एन० पी० ए०।
 न्यायमूर्ति एम० एम० पृष्ठी, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय।
 एस० एस० पुरी, निदेशक, लोक अभियोजन, मुंबई।
 पी० एन० रघुदया, भारतीय पुलिस सेवा।
 डा० एस० सी० रेना, परियोजना निदेशक, वी० पी० आर० एंड डी०।
 देवेन्द्र रखेजा, अध्यक्ष, विधि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय।
 मनिराज, भारतीय पुलिस सेवा।
 पी० एस० रामलिङ्गम, अधिवक्ता।
 ए० टी० राव, अधिवक्ता।
 डी० के० प्रह्लाद राव, अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान।
 न्यायमूर्ति एम० जगन्नाथ राव, मुख्य न्यायमूर्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय।
 एम० वी० कृष्णा राव, निदेशक, ए० पी० पुलिस अकादमी।
 पी० पी० राव, ज्येष्ठ अधिवक्ता।
 जे० टी० सुलक्षणा राव, सहायक विधि अधिकारी, विधि आयोग।
 ए० बी० रंगन, अधिवक्ता।
 बुद्धि रंगनाथन, प्रशिक्षणार्थी अधिवक्ता।
 एन० श्रीलोक रथ, प्रशिक्षणार्थी अधिवक्ता।
 एस० पी० एस० राठौर, पुलिस महानिदेशक (अपराध) राजस्थान।
 सी० एस० आर० रेड्डी, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़।
 न्यायमूर्ति के जयचन्द्र रेड्डी, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग।
 सदाशिव रेड्डी, अधिवक्ता।
 सुश्री ऊषा रेड्डी, अधिवक्ता।
 एन० के० सैवर, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त)।
 हरीश साल्वे, उच्च अधिवक्ता।
 ए० टी० एम० संपथ, अधिवक्ता।
 एच० एद० संदु, पुलिस अधीक्षक (केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो)।
 डा० के० संक्रितयान, सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
 रत्नेश आर०, अधिवक्ता।
 सुश्री पदमा सेठ, सदस्य, राष्ट्रीय प्रह्लाद आयोग।
 अतुल शर्मा, अधिवक्ता।

न्यायमूर्ति एस० के० शर्मा, न्यायाधीश, विल्ली उच्च न्यायालय।
श्रीमती पवन शर्मा, सहायक विधि अधिकारी, विधि आयोग।
टी० सी० शर्मा०, अधिवक्ता।

विभागीय शर्मा, उपमहानियमीकारी, तिस्रो लेवल, तमिलनाडु।
विष्णु शर्मा, अधिवक्ता।

एस० एन० शरीफ, अधिवक्ता।

एन० के० लिंगमूर्ति, भारतीय पुस्तिकाल।

कपिल सिंधव, ज्येष्ठ अधिवक्ता।

जे० पी० सिंह, अपर जिला न्यायाधीश, विली।

न्यायमूर्ति भवानी सिंह

मुल्तान सिंह, अधिवक्ता।

जी० पी० थीवासतव, अधिवक्ता।

एस० सी० श्रीवासतव, संयुक्त सदिव, विधि आयोग।

ए० सुभाषिनी, अधिवक्ता।

ए० के० सूरी, आगर महानियमीकारी, जन्म और कठमीर।

आर० एस० सूरी, अधिवक्ता।

एस० जे० सैद, विधिक परामर्शी, राष्ट्रीय महिला आयोग।

न्यायमूर्ति चन्द्रीलाल ठाकर, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय।

न्यायमूर्ति के० टी० थामस, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय।

संजय तिपाठी, उपविधि अधिकारी, विधि आयोग।

डा० दी० दी० त्रिपाठी, सहायक निदेशक, वी पी आर एंड डी।

के० टी० एस० तुलसी, ज्येष्ठ अधिवक्ता।

ए० के० उपायाय, सहायक विधि अधिकारी, विधि आयोग।

डा० अनूप कुमार लाल्हाये।

न्यायमूर्ति एस० एन० वैकटचेलैया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।

न्यायमूर्ति डी० पी० लक्ष्मा, भुख्य न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय।

आर० के० यादव, अपर जिला न्यायाधीश।

रत्नबीर यादव, अधिवक्ता।

23 फरवरी, 1997 की स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम पर एक अधिवेशन हुआ। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री के० टी० थामस ने, इस अधिवेशन की अंधकाशता की। उन्होंने यह कहा कि बारा 43 से 52 तक के उपबंध पर्याप्ति थे।

उन्होंने उन गुणों को बताया जो एक लोक अधियोगक में होने चाहिए और लोक अधियोगक के रूप में सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ओषधि के संबंध में, संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशनों का भी उल्लेख किया। उसके अनुसार, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंध भयोपरापी और कठोर हैं। तथापि, उन्होंने अधिनियम में कई अन्य उपबंधों की बाबत खामियों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों की यह भी जान-कारी नहीं कि उनके बवाने राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित किए जाने हैं जबकि विधि यह उपबंध करती है कि बवान या तो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष वा किसी अधिकारी के समक्ष अभिलिखित किए जाएं।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के० टी० एस० तुलसी ने, दौड़िक न्याय प्रशासन के द्वारा जाने की समस्याओं को निर्दिष्ट किया। उन्होंने कहा कि तलाशी, राजपत्रित अधिकारी वा मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाए व्येकियह अभियुक्त के अधिकारों का महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। फिर भी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारण पर विश्वास किया जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि विधान विभाग स्थितियों में संतुलन बनाने के लिए है। श्री तुलसी ने, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन का प्रभाव दर्शित करने के लिए बहुत से लाभिकीय आंकड़े दिए।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, श्री एच० एस० संधू ने, अन्वेषण और अभियोजन की असफलता के कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित विधि को भी निर्दिष्ट किया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री आर० सी० दीक्षित ने भी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की विभिन्न खामियों की ओर संकेत दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री कपिल सिंह ने कहा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन ओषधि का बाहक दोषसिद्ध होता। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि क्या ऐसा उचित है। उन्होंने साक्षित करने के भार और साथ्य मूल्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी जोर दिया। इस संबंध में, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की विधियां भी निर्दिष्ट की।

मूल्य : देश मे—356 रु 50 पै०; विदेश मे—5 डॉलर 10 शि० 1 पै० या 9 डालर 19 सेंट

1999

प्रबन्धक भारत सरकार भूमिकालय शिमला द्वारा मुद्रित तथा
प्रकाशन नियन्त्रक रिपोर्ट लाइन्स दिल्ली द्वारा प्रकाशित